HVS/Lib/1
15.11.99

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

3 फरवरी, 1999
खण्ड - 1, अंक - 5
अधिकृत विवरण

विषय सूची

वुधवार, 3 फरवरी, 1999

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(5) 1
अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प की सूचना पर चर्चा	(5) 1
सदस्य का नाम लेना	(5) 5
अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प की सूचना पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(5) 7
वाक-आउट	(5) 11
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(5) 12
सदन के कार्यक्रम में परिवर्तन	(5) 16
वर्ष 1999-2000 का वजट पेश करना	(5) 16

मूल्य :

49

हरियाणा विधान सभा

बुधवार 3 फरवरी, 1999

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (प्रो० छत्तर सिंह चौहान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल-जवाब होंगे। श्री देवराज दीवान, आप अपना प्रश्न पूछिये।

अध्यक्ष को हटाने के लिये संकल्प की सूचना पर चर्चा

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमने आपके खिलाफ रिमूवल का नोटिस दिया है। .... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, आप बैठिये। This is no time to raise such matter. (Interruptions)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप यहां बैठ नहीं सकते हैं क्योंकि आपके खिलाफ हमने रिमूवल का नोटिस दिया हुआ है, इसलिए आप इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, मैं आपके कहने से जाने वाला नहीं हूं और आपने पहले भी बहुत बार ऐसे किया है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आप मेरे कहने से जाने वाले तो नहीं हैं, लेकिन आज आप यहां नहीं बैठ सकते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, आप बैठ जाईए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आज आप इस सीट पर बिल्कुल नहीं बैठ सकते और * * * के भी नहीं बैठ सकते। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Mr. Chautala, please take your seat. You are nobody to dictate me. (Interruptions) यह आपके घर की परम्परा होगी, हाऊस की परम्परा नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) Mr. Chautala, I warn you. Please take your seat.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : हमने आपके खिलाफ रिमूवल का नोटिस दिया है, इसलिये आप इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। (शोर)

---

* Expunged as ordered by the Chair.

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, आप बैठिये।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आपको पहले भी इस हाऊस से * * * करके निकाला गया था वरना उस समय आप कोई आसानी से निकलने वाले थोड़े थे। (शोर)

Mr. Speaker : Mr. Chautala, I warn you. Please take your seat.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : हमने आपके खिलाफ रिमूवल का नोटिस दिया है इसलिये आप इस सीट पर नहीं बैठ सकते और आप को यहां बैठने का कोई अधिकार नहीं है। आप इस सीट पर बैठकर कोई आर्डर पास नहीं कर सकते।

Mr. Speaker : Mr. Chautala, please take your seat. (Noise & Interruptions). खुर्शीद अहमद जी, आप पढ़े-लिखे आदमी है, इसलिये आप बताईए। इनको तो पता नहीं क्योंकि इनको पढ़ना-लिखना तो आता नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : कायदे के मुताबिक इस सीट पर आप नहीं बैठ सकते और डिप्टी स्पीकर महोदय इस सीट पर बैठ कर फैसला करेंगे।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, आपके कहने से तो मैं कुर्सी छोड़ूंगा नहीं, इसलिये आप कृपया बैठ जाईए। You are nobody to advise me. (Interruptions).

श्री ओम प्रकाश चौटाला : यह तो हमें पता है कि आप कुर्सी नहीं छोड़ेंगे।

श्री अध्यक्ष : यह कोई नई बात नहीं है और आप हर बार ऐसे मोशन लाते हैं। मैं आपके कहने से यहां नहीं बैठा हूं और आपके कहने से मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। इसलिये आप यह बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री खुर्शीद अहमद : अध्यक्ष जी, आप हम एम०एल०एज़० की वजह से ही इस कुर्सी पर बैठे हैं। आप जिन रूल्ज़ के तहत स्पीकर हैं आप उन रूल्ज़ की वॉयलेशन कर रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आपके खिलाफ रिमूवल का नोटिस आया है। वह नोटिस इतनी स्ट्रैंथ में आया है कि आप यहां बैठ नहीं सकते।

श्री खुर्शीद अहमद : सर, हमने अन्डर रूल-II नोटिस दे दिया है।

श्री अध्यक्ष : यह नोटिस एक बार नहीं आया, पिछली बार भी था लेकिन कांस्टीच्यूशनली 14 दिन का नोटिस होना चाहिये। (शोर एवं व्यवधान) I can not go beyond the Constitution and Mr. Chautala is also nobody to go beyond the Constitution.

Shri Khurshid Ahmed : Sir, there is a precedent in the House. यह रूल नो-कोन्फीडेंस मोशन का नहीं है बल्कि रिमूवल का है। There is rule 11 of the Rules of Procedure and Conduct of Business. Let me read this rule, Sir. (Interruptions & Noise).

Mr. Speaker : Mr. Khurshid Ahmed, please listen to me. क्या उस नोटिस पर आपके हस्ताक्षर हैं ? (Interruptions).

---

* Expunged as ordered by the Chair.

Shri Khurshid Ahmed : सर, इसमें हस्ताक्षरों का सवाल नहीं है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि nothing can take priority except this Resolution of removal of Speaker. (Noise & Interruptions).

श्री अध्यक्ष : खुर्शीद अहमद जी, क्या आप बता सकते हैं कि कहीं स्पीकर के विरुद्ध नो-कोन्फीडैन्स मोशन आया हो। अगर कोई हो तो दिखा दीजिए।

Shri Khurshid Ahmed : There is rule providing for the removal of Speaker and the Deputy Speaker. (Noise & Interruptions).

श्री अध्यक्ष : मैं सभी माननीय सदस्यों से रिक्वैस्ट करूंगा कि वे कृपया अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जाएं। (शोर)

श्री खुर्शीद अहमद : स्पीकर साहब, * * * * * * * * (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Whatever Shri Khursbid Ahmed has spoken, that may not be recorded. (Interruptions)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, चौधरी खुर्शीद अहमद जी बहुत पुराने पार्लियामैंटेरियन हैं और हमारे सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं। ये रूल्ज ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट औफ बिजनैस के रूल 11 की चर्चा कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले विपक्ष के माननीय सदस्य चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि उन्होंने आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं रूल्ज औफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट औफ बिजनैस के रूल 65 के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। यह हाउस इस नियमावली के हिसाब से ही चलता है। इस नियमावली के रूल 65 में अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान है वह मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रावधान है। मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रावधान इस नियमावली के रूल 65 के अन्तर्गत आता है।

माननीय स्पीकर साहब के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव विधान सभा की नियमावली के नियम 65 के अन्तर्गत नहीं आता। (विघ्न) कैप्टन अजय सिंह जी, कुश्ती लड़ने के लिए क्यों तैयार हो रहे हो ? क्या यह विधान सभा कुश्ती के लिए है ? यह विधान सभा तर्कसंगत विचारों के लिए है। यह विधायकों की विधान सभा है। यहां पर तर्क की बात होती है, इसमें मसल्ज काम नहीं करते। यहां पर मस्तिष्क काम करता है। हम 1-1 लाख लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। कुश्ती के आधार पर चुनाव नहीं होता। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप सभी आराम से बैठें।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर साहब, मैं सबमिशन कर रहा था कि सदन में विपक्ष के माननीय नेता कहते हैं कि नियम 65 विश्वास का प्रस्ताव है। (विघ्न) खुर्शीद अहमद कहते हैं कि (शोर व व्यवधान) I have every right to say my words. (Interruptions) स्पीकर साहब ने मुझे भी समय दिया है और आपको भी दिया है। मैं भी इसी नियमावली के अन्तर्गत पढ़कर अपनी बात कहना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि नियम 65 के अंतर्गत अविश्वास का प्रस्ताव आता है, कुछ कहते हैं कि नियम 11 के अन्तर्गत आता है, अध्यक्ष महोदय कुछ मर्यादाएं होती हैं। पिछली बार भी आपने प्रेस

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री राम बिलास शर्मा]
दिखाते हुए, अपना बड़प्पन और महानता दिखाते हुए इनकी बात को माना हालांकि वह इस नियम के अंतर्गत नहीं आता था। मेरे कहने का मतलब यह है कि माननीय सदस्य जो अविश्वास प्रस्ताव आपके खिलाफ ला रहे हैं उसके बारे में हम बहुत पहले से सुन रहे थे कि ये सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लायेंगे, ये क्यों नहीं लाये? ये कोई प्रस्ताव लायें तो वह कायदे-कानून के हिसाब से लायें। हर बार कोई इधर-उधर की बातें करके कोई कागज देकर आपके खिलाफ कोई प्रस्ताव ले आते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। ऐसी बेकार की कोई हाउस की परम्परा नहीं बनानी चाहिए।

श्री खुर्शीद अहमद : स्पीकर साहब, आप मेरी बात सुनिये।

श्री अध्यक्ष : खुर्शीद जी, आप पढ़े लिखे आदमी हैं इसलिए मैं आपके पास कान्स्टीच्यूशन की यह कापी भेज देता हूं। इसे आप पढ़ लें।

श्री खुर्शीद अहमद : यह तो मैंने पहले ही पढ़ रखी है।

श्री अध्यक्ष : अगर आपने इसे पढ़ रखा होता तो शायद आप ऐसी बातें नहीं करते। इसलिए आप कृपया अब बैठें।

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं कान्स्टीच्यूशन की धारा 179-सी को पढ़ देता हूं। इसमें लिखा है—

Article 179 (c) of the Constitution of India and no Rule of any House can abrogate the provision of the Constitution and this provision of the Constitution says—

> "May be removed from his office by a resolution of the Assembly passed by a majority of all the then members of the Assembly :
>
> > Provided that no resolution for the purpose of clause (c) shall be moved unless at least fourteen days' notice has been given of the intention to move the resolution :"

Their resolution has been received, but you cannot take it up before 14 days. Last time, when you said that it should be discussed, even that was not proper on our part to discuss it because we cannot violate the provision of the Constitution. This is the Constitution and we are working according to the Constitution. Nothing is above the Constitution. (Interruptions)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन अजय सिंह जी, आप कान्स्टीच्यूशन के बहुत बड़े ज्ञाता दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आप बोलिये।

Capt. Ajay Singh Yadav : I read the Rules.

Mr. Speaker : No, no. Rules cannot over-rule the Constitution of India. This is the Constitution of India.

Capt. Ajay Singh Yadav : I can read the Rules. What is the necessity of the Rules ? As per the Rules the House runs. If you don't believe in the Rules then scrap all the Rules.

श्री राम बिलास शर्मा : रूल 11 में आर्टिकल 179-सी की परिभाषा की गई है। जो इस तरह का प्रस्ताव आर्टिकल 179-सी की शर्तों को पूरा करता है, उसी पर विचार कर सकते हैं। आर्टिकल 179-सी के प्रावधान की शर्त अभी मुख्य मन्त्री जी ने पढ़ी है। कैप्टन साहब, इस को किसी भी भाषा में पढ़ लें, हिन्दी में पढ़ लें, अंग्रेजी में पढ़ लें या किसी भी और भाषा में पढ़ लें यह बिल्कुल स्पष्ट है। अध्यक्ष महोदय, इस संविधान को उन लोगों ने बहुत सोच-समझ कर बनाया था। जहां तक कुश्ती की बात है, हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। हम लोग विधान सभा में विधायक बन कर जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और तर्कसंगत बातों से अपनी बात कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कोई तो ऐसी बात हो जिसे ये फौलो करें। काम के हिसाब से यह नियमावली बनी है। इस सदन को चलाने के लिए यह नियमावली बनी है और सब की सहमति से बनी है। एक-एक कदम पर हम को मार्गदर्शन यह नियमावली देती है। अध्यक्ष महोदय, चौधरी खुर्शीद अहमद जी इस बात को एप्रिशियेट करेंगे क्योंकि इन्होंने कांस्टीच्यूशन को कई बार पढ़ा है, एक बार वे फिर से इसको पढ़ लें कि 179-सी में बहुत इलैबोरेटली साफ तौर पर यह मैंशन किया है कि ये-ये शर्तें पूरी करने के बाद यह नोटिस दिया जा सकता है। (विघ्न एवं शोर)

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इनके नॉलेज में थोड़ा सा इज़ाफा और कर दूं। जो रूल्ज़ ऑफ प्रोसीज़र एण्ड कण्डक्ट ऑफ बिज़नैस है, जिसके रूल का ये लोग हवाला दे रहे हैं इसमें बड़ा क्लीयर है "As soon as may be after the receipt of notice of a resolution to remove the Speaker or the Deputy Speaker.." यह जो रूल 11 है वह भी कांस्टीच्यूशन की आर्टिकल 179-सी को अहम् मानता है। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, आप एक मिनट बैठिए। (विघ्न) जहां तक आपके नोटिस की बात है, आपका नोटिस ऑफिस में आ गया है। जहां तक इस पर डिस्कशन और चर्चा की बात है यह चर्चा नहीं हो सकती है क्योंकि we cannot go beyond the Constitution of India. We are here as per the Constitution of India and I would not allow anybody to go beyond the Constitution of India whatever he may be. यह पहले भी आया था और अब भी आया है। अगर आपने यह सोच लिया है कि हाऊस का टाईम बरबाद करना है तो वह दूसरी बात है। दुख की बात तो यह है कि चौधरी खुर्शीद अहमद जैसे इतने पुराने विधायक और जो वकील भी हैं, कांस्टीच्यूशन को वायलेट करने की बात कहें। हम यहां पर किस लिए बैठे हैं ? (Interruptions). We are here as per the Constitution of India and I won't allow anybody to go beyond the Constitution of India. (Noise & Interruptions)

सदस्य का नाम लेना

श्री खुर्शीद अहमद : सर, नोटिस का प्रोसीज़र लेड-डाउन है। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनिए। (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, आप एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप यह बात अपने दिमाग से निकाल दें। मैं अगर यहां पर बैठा हुआ हूं तो वह चौटाला के रहम से नहीं बैठा हूं। (विघ्न एवं शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आपने यह बात पचासों दफा दोहराई है। (विघ्न) आप इस पद की गरिमा को बना कर नहीं रख रहे हैं। (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : क्या आप गरिमा को बढ़ा रहे हैं ? (विघ्न एवं शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का नहीं है। मैं तो हैरान इस बात पर हूँ कि बहस क्यों हो रही है। (विघ्न एवं शोर) * * * * *

श्री अध्यक्ष : मिस्टर चौटाला जो बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। (विघ्न) Mr. Chautala, please take your seat, otherwise I will have to name you. I cannot go beyond the Constitution. (Noise & Interruptions) मैंने मिस्टर चौटाला की बर्डिक्ट नहीं सुननी है। (विघ्न) मैंने चौटाला साहब की डिक्टेशन पर नहीं चलना है। I warn Mr. Chautala and I will have to name him. (Noise & Interruptions).

Shri Om Parkash Chautala : * * * * *

Mr. Speaker : I warn you. Please take your seat, otherwise I will have to name you. (Interruptions) Shri Khurshid Ahmed please take your seat.

Shri Om Parkash Chautala : * * * * * * * * * * *

Mr. Speaker : Whatever is being spoken without the permission of the Chair is not to be recorded. (Interruptions)

(At this stage many members rose to speak.)

Mr. Speaker : Nothing to be recorded. Mr. Chautala, I warn you, otherwise I will have to name you. (Interruptions).

Shri Dhir Pal Singh : * * * * * * * *

Capt. Ajay Singh Yadav : * * * * * * * * * *

Shri Om Parkash Chautala : * * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी आपके कहने से कुछ नहीं होगा। Don't try to dictate the Chair. I will go according to the rules. (Interruptions) I request you to take your seat, otherwise I will have to name you.

Mr. Om Parkash Chautala : * * * * *

Mr. Speaker : I name Mr. Chautala. I request him to leave the House. (Interruptions) मैं आपके कहने से कुर्सी पर नहीं बैठा हूं और न ही आपके कहने से यहां से जाऊंगा। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Dhir Pal Singh : * * * * * * *

Shri Om Parkash Chautala : * * * * * *

Mr. Speaker : I have named Shri Chautala. I request him to leave the House.

(At this stage Sh. Om Parkash Chautala withdrew from the House.)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प की सूचना पर चर्चा (पुनरारम्भ)

Shri Dhir Pal Singh : * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : आप जो ड्रामा कर रहे हैं क्या प्रश्न काल के वक्त में ऐसा होता है। (Interruptions).

Shri Dhir Pal Singh : * * * * * * *

Capt. Ajay Singh Yadav : * * * * * * *

Shri Khurshid Ahmed : * * * * * * *

Shri Jaswinder Singh Sindhu : * * * * * * *

Mr. Speaker : Nothing to be recorded except with my permission. Please take your seats, otherwise I will have to name you. (Interruptions) Mr. Jaswinder Singh, please take your seat, otherwise I will have to name you.

Shri Dhir Pal Singh : * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : आप सरकार की बात कर रहे हैं, अगर आप में दम था तो इसके खिलाफ नो कांफिडैंस मोशन ले आते। आपको किसने रोका था। (शोर एवं व्यबधान) आप सब बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री खुर्शीद अहमद : स्पीकर साहब, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : खुर्शीद अहमद जी, जो आपने पहले कहा है अगर उससे कुछ अलग बात आप कहना चाहते हैं तो बताएं।

श्री खुर्शीद अहमद : स्पीकर सर, मैं दलाल साहब द्वारा कही गयी बात का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 179-सी के तहत स्पीकर की रिमूवल के लिए 14 दिन का नोटिस देना जरूरी है तथा यह नोटिस कांस्टीच्यूशन के हिसाब से भी जरूरी है लेकिन उसकी इंटैंशन का नोटिस देने के लिए इस विधान सभा ने अपने रूल्ज ऑफ प्रोसिजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनैस बनाए हुए हैं। इनके तहत हमको यह अख्तियार है कि जब हम चाहें स्पीकर की रिमूवल के लिए आपको नोटिस दे सकते हैं और यदि हमने आपको इस तरह का कोई नोटिस दे दिया then you are bound to read it now.

श्री अध्यक्ष : मैं तो सोच रहा था कि आप कोई बात अच्छी कहेंगे क्योंकि आप लम्बे समय तक वकालत करते रहे हैं और आप बहुत सीनियर मैंबर भी हैं। अब आप अपनी सीट पर बैठें। (शोर एवं व्यबधान)

Shri Khurshid Ahmed : Under Rule 11 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Haryana Legislative Assembly, it is mandatory for the Speaker to read the Resolution and you cannot violate it. If you violate it, it would be the contempt of this House. (Interrupptions) आर्टिकल 179-सी के तहत स्पीकर की रिमूवल के लिए 14 दिन का नोटिस देने का प्रोसिजर है। वही प्रोसिजर आपने यहां पर ऐस्टेबलिश किया हुआ है।

Mr. Speaker : Mr. Khurshid Ahmed ji, please take your seat. That matter cannot be discussed before 14 days.

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर साहब, हमने स्पीकर की रिमूवल के लिए नोटिस दिया हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, अब आप अपनी सीट पर बैठें।

श्री धीरपाल सिंह : यहां पर चर्चा इस बात की हो रही है कि पहले स्पीकर साहब इस चेयर को छोड़कर जाएं और डिप्टी स्पीकर साहब चेयर पर जाकर बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठें। मैं एक बार फिर सभी माननीय सदस्यों से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वे हाऊस को चलने दें। I won't allow any body to go beyond the Constitution of India.

श्री धीरपाल सिंह : लेकिन पहले भी आपने ऐसा किया है, इसका मतलब उस समय आपने संविधान की उल्लघंना की थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं धीरपाल जी आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपकी मर्जी से नहीं चलूंगा। यह बात आप अपने दिमाग से निकाल दें। Mr. Dhir Pal, I warn you, please take your seat, otherwise I will have to name you.

श्री धीरपाल सिंह : इस सरकार के गठन के बाद सिवाए हमें नेम करने के और क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री अध्यक्ष : धीरपाल जी, आप बैठें।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, * * * * * *

श्री अध्यक्ष : धीरपाल जी मेरी परमिशन के बगैर जो कुछ भी बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, चौधरी खुर्शीद अहमद जी ने कांस्टीच्यूशन के आर्टिकल 179 (सी) को उद्धृत किया, वह बिल्कुल ठीक किया। जो इसे साइट किया, वह ठीक किया। माननीय चौधरी खुर्शीद अहमद जी बहुत अनुभवी पार्लियामैन्टेरियन हैं और इन्हें असैम्बली का भी काफी अनुभव है। मैं इन्हें कांस्टीच्यूशन की अथौरिटी भी कह सकता हूं लेकिन मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि आर्टिकल 179(सी) के बाद ही तो इस रूल्ज ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस में रूल-11 का जन्म हुआ है। पहले बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में आर्टिकल 179(सी) का प्रावधान किया और उसके प्रकाश में ही रूल 11 का जन्म हुआ। यह जो रूल-11 का प्रावधान है इसे आर्टिकल 179(सी) के प्रकाश में ही पढ़ा जा सकता है। रूल-11 को 179(सी) से पहले नहीं पढ़ा जा सकता। इसमें कहीं ऐम्बिग्युटी नहीं है। यदि रूल-11 अपने आप में स्वछंद होता और यह ऑगस्ट हाऊस अपनी मनमर्जी से इसका प्रावधान कर सकता होता तो आर्टिकल 179(सी) का उल्लेख नहीं होता। इसलिए मैं कह सकता हूं कि चौधरी खुर्शीद अहमद ने ठीक फर्माया, पहले 179(सी) का जन्म हुआ और उसके प्रकाश में इस नियमावली के रूल 11 का जन्म हुआ।

श्री खुर्शीद अहमद : स्पीकर सर, इसी मामले के बारे में जो प्रौसीजर पहले ऐडौप्ट किया गया था वही प्रौसीजर आज ऐडौप्ट किया जाए। इसका फैसला आज ही हो जाएगा, so we have to follow that procedure. (Noise)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाएं। (शोर एवं विघ्न) आपका रैजौल्यूशन ऑफिस में आ गया। (Noise & Interruptions). That cannot be discussed before 14 days. खुर्शीद अहमद जी, आप बैठ जाइए। (शोर एवं विघ्न) पिछली बार भी आप लोग मेरे खिलाफ रिमूवल का रैजोल्यूशन लाए थे। मैंने उस समय कैटेगरिकली कहा था कि it cannot be discussed and today also it cannot be discussed. (Noise). Now I request Ch. Khurshid Ahmed to take his seat; otherwise I will have to name him. This is my last warning. (Noise & Interruptions).

Shri Ram Bilas Sharma : Sir, I may be allowed to speak. (Noise & Interruptions).

(At this stage many members rose to speak).

Mr. Speaker : Ch. Khurshid Ahmed Ji, you please take your seat, otherwise I will have to name you.

Shri Khurshid Ahmed : That you may do, Sir.

श्री रामबिलास शर्मा : स्पीकर सर, यह जो 179 (ग) में लिखा हुआ है। (विघ्न)

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, वही बात बार-बार दोहराई जा रही है इसके अलावा और कौन सी बात है।

श्री रामबिलास शर्मा : स्पीकर सर, जिस धारा का उल्लेख माननीय साथी कर रहे हैं मैं उसको अक्षरशः उनकी सेवा में पढ़ना चाहता हूं। रूल्ज औफ प्रोओसीजर एंड कंडक्ट औफ बिजनैस का नियम 11(1) संविधान के अनुच्छेद 179(ग) के अधीन हैं और 179(ग) के अधीन ही उस पर कार्यवाही हो सकती है। इसलिए 179(ग) के अधीन इनकी बात कवर नहीं होती।

श्री अध्यक्ष : यह तो इनको भी पता है।

लोक निर्माण मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : स्पीकर सर, बड़े दुख की बात है कि हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य जानबूझकर इसके बारे में शोर-शराबा कर रहे हैं और समय-समय पर खड़े होकर आपकी चेयर पर एसपर्शन कास्ट कर रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है। यह संविधान की बात है। ये कायदे-कानून हमारे अपने तो बनाये हो सकते हैं मगर सर्वोच्च संविधान जो डा० भीमराव अम्बेडकर ने इस देश को दिया था उसकी उल्लंघना न तो ये लोग कर सकते हैं और न ही हम लोग कर सकते हैं। चौधरी खुर्शीद अहमद जी मेरी बात सुनिये। (विघ्न)

श्री जसविन्द्र सिंह सिंधु : स्पीकर सर, मेरी बात सुनिये।

श्री अध्यक्ष : जसविन्द्र सिंह जी यह आपकी अप्रोच से बाहर की बात है आप बैठिये।

श्री जसविन्द्र सिंह सिंधु : स्पीकर सर, आप मेरी बात तो सुन ही नहीं रहे हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से चौधरी खुर्शीद अहमद जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इस धारा को एक दफा फिर पढ़ लें। (विघ्न) स्पीकर सर, इनका यह कोई तरीका है कि किसी को अपनी बात पूरी नहीं कहने देते। मैं चौधरी खुर्शीद अहमद जी की जानकारी के लिए बता दूं कि 179 (सी) में यह साफ लिखा हुआ है कि—

> "Provided that no resolution for the purpose of clause (c) shall be moved unless atleast fourteen days' notice has been given of the intention to move the resolution."

स्पीकर सर, इसमें साफ लिखा हुआ है। इनकी मंशा संविधान की धाराओं को पढ़ने की नहीं है। ये जानबूझकर सदन की कार्यवाही में बाधा डालने लगे हुये हैं।

Mr. Speaker : Now, this matter comes to an end beecause sufficient discussion had already taken place on this matter and now let the House take up the questions.

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मेरी बात तो अधूरी ही रह गई। स्पीकर सर, चौधरी खुर्शीद अहमद जी की जानकारी के लिए मैं इनको एक बात बता दूं कि कानूनी बात भी यही है कि No rule can be framed beyond the Act. संविधान में भी यही लिखा हुआ है कि कोई रूल संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। संविधान की किताब में यह साफ लिखा हुआ है। लेकिन इनको संविधान से कुछ लेना-देना नहीं है।

श्री खुर्शीद अहमद : स्पीकर सर, मेरी बात तो आप सुन नहीं रहे हैं। पहले मेरी बात सुनिये।

श्री अध्यक्ष : खुर्शीद अहमद जी, आप बैठिये।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मेरी बात तो पूरी हो जाने दो। इनको मोटे शब्दों में समझ नहीं आता।

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर सर, बार-बार एक ही बात को दोहराया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : धीरपाल जी आप अपनी सीट पर बैठिये। जहां तक कार्यवाही में बोलने की बात है यह सदन किसी की बपौती नहीं है। आपके समय का रिकार्ड भी दिखा सकता हूं कि सदन कितने दिन चला था। मैं चौधरी खुर्शीद अहमद जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि वे यह बता दें कि क्या किसी एसैम्बली का रूल संविधान से ऊपर हो सकता है This is not contrary to the Constitution of India. बल्कि उसके साथ आप पढ़ ले अगर इस तरह का कोई प्रोविजन हो भी तो क्या एसैम्बली का रूल संविधान के आर्टीकल को ओवर रूल कर सकता है। आप यह बता दें।

श्री खुर्शीद अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं ओवररूल करने की बात नहीं कह रहा हूं। मेरा तो यह स्टैंड है कि संविधान की इस आर्टिकल को इफैक्ट देने के लिए इस माननीय सदन ने यह रूल बनाया है। आर्टिकल- 179 (सी) का इनवोक करके किस तरह से प्रस्ताव लाया जाएगा, इसकी सारी डिटेल इसकी रूल-II में दी हुई है। (शोर एवं विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आप इस पर डिस्कस कर लें, हम 14 दिन का नोटिस आज से ही दे देते हैं। (विघ्न) 14 दिन के बाद आपकी मर्जी है, आप इस पर डिस्कस करें या न करें। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : ठीक है, 14 दिन का नोटिस आप खुद मानते हैं, तो आपका नोटिस आ गया। (शोर एवं विघ्न) फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आज ही इस पर डिस्कशन कराओ और आप पद से हट जाओ ? (शोर)

श्री खुर्शीद अहमद : अध्यक्ष महोदय, आपको यह नोटिस मिल चुका है और आपने यह मान भी लिया है कि आपको नोटिस मिल चुका है। (इस समय काफी सदस्य खड़े होकर बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : कृपया आप सभी सदस्य बैठ जाएं। मैं आप सब को वार्न करता हूं।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप यह एक गलत परम्परा स्थापित करने जा रहे हैं। (इस समय कई माननीय सदस्य अपनी सीटों पर खड़े रहे)

Mr. Speaker : Please sit down. I warn you. Please take your seat.

Shri Khurshid Ahmed : Rule 11(1) says :

> "As soon as may be after the receipt of notice of a resolution to remove the Speaker or the Deputy Speaker from his office under Article 179(c) of the Constitution, the Speaker shall read the notice to the Assembly ...."

You have to follow this Rule. (Interruptions)

श्री अध्यक्ष : श्री खुर्शीद अहमद जी, मैंने आपसे प्रार्थना की है कि आप बहुत पुराने एम०एल०ए० हैं, संसद के सदस्य भी रहे हैं। आप मुझे व इस सदन को सिर्फ एक बात का जवाब दे दें कि क्या संविधान की आर्टिकल को यह सदन ओवररूल कर सकता है ?

श्री खुर्शीद अहमद : अध्यक्ष महोदय, संविधान की आर्टिकल को कोई भी ओवररूल नहीं कर सकता है। न यह सदन कर सकता है और न ही कोई दूसरा सदन कर सकता है।

Mr. Speaker : I won't allow you to act like this and I also won't go beyond any Article of the Constitution. I stand to my point. (Interruptions)

वाक-आउट

Shri Khurshid Ahmed : If you have received the notice then you have no option. You must read it out. Sir, if you don't read that notice then it is contempt of this House.

Mr. speaker : It cannot be read before 14 days. Please take your seat. (Noise)

Shri Khurshid Ahmed : Speaker Sir, if the rules are not followed then it is a contempt of the House. I urge all the opposition members to stage a walk out as a protest against not taking up the resolution for the removal of the Speaker today itself.

आवाजें : स्पीकर साहब, आप हमारी बात ही नहीं मान रहे हैं। इसलिए हम एज-ए-प्रोटैस्ट सदन से वाक-आउट करते हैं।

(At this stage all the members of both the parties i.e. Indian National Congress and Haryana Lok Dal (Rashtriya) Party, present in the House staged a walk out)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, ये बिना वजह के ही इस सदन की कार्यवाही में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। (शोर एवं विघ्न)

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, श्री खुर्शीद अहमद जी ने यह बात स्वीकार तो कर ली है कि प्रावधान तो यही है। (शोर एवं विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने हर रोज का तमाशा बना रखा है। ये प्रश्न काल को चलने नहीं देना चाहते हैं। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : यह इनका अधिकार है। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, इनको ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इनका यह सिर्फ आज का काम नहीं है, इनका तो हर रोज का ही ऐसा काम है।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

तारांकित प्रश्न संख्या-815

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री देव राज दीवान सदन में उपस्थित नहीं थे।)

तारांकित प्रश्न संख्या-840

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री राम जी लाल सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Repair of Nayan to Thanawas Road

***863. Shri Kailash Chander Sharma :** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state the time by which the repair work of Nayan to Thanawas road in district Mohindergarh is likely to be started/completed ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : नायन से थानावास तक सड़क की मुरम्मत का कार्य 4/1999 तक आरम्भ होने की सम्भावना है तथा यदि धन उपलब्ध होता है तो 6/1999 तक पूरा हो जाएगा।

श्री कैलाश चन्द्र शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि पिछले साल ही इस सड़क के टैंडर इनवाईट हुए थे। यह सबसे महत्वपूर्ण सड़क है क्योंकि यह दो गांवों को क्रॉस करती हुई जाती है। वहां पर पानी की टंकी होने की वजह से, उस रोड की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। इसलिए मेरी प्रार्थना यह है कि इसको बहुत जल्दी ठीक कराया जाए। इसके साथ ही साथ मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि पिछले साल जो टैंडर इनवाईट किए थे, वे रद्द क्यों हुए हैं ? उस समय तक तो इस सड़क पर रोड़ी वगैरह भी पड़ गई थी।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय साथी कैलाश चन्द्र शर्मा जी को बताना चाहूंगा कि इस वर्ष के अंदर हमने यह फैसला लिया है कि हम सबसे पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर स्टेट हाईवेज़ को ठीक करेंगे। उसके बाद एम०डी०आर० को ठीक करेंगे तथा उसके बाद दूसरे रोड्ज को ठीक करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमने सबसे पहले प्राथमिकता बड़े रोड्ज को ठीक करने को दी है इसलिए इस काम में थोड़ा विलम्ब हो गया है लेकिन हम इस काम को भी अप्रैल, 1999 तक पूरा करा देंगे। यह हम उम्मीद रखते हैं।

श्री कैलाश चन्द्र शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय के नोटिस में लाना चाहता हूं कि वहां पर सड़क बनाने के लिए सामान पड़ा है और इसका टैंडर भी इनवाईट हो चुका था। मंत्री महोदय, बेशक इस बारे में महकमें से पता लगा लें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी कैलाश चन्द्र शर्मा जी को बताना चाहता हूं कि वहां पर जो सामान पड़ा है वह सामान इसीलिए पड़ा है कि इस वर्ष अप्रैल, 1999 तक उस सड़क का काम पूरा हो जाएगा।

तारांकित प्रश्न संख्या 810

(यह सवाल पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य कैप्टन अजय सिंह हाउस में उपस्थित नहीं थे।)

तारांकित प्रश्न संख्या 893

(यह सवाल पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री धीर पाल सिंह हाऊस में उपस्थित नहीं थे।)

Construction of a Road

***855. Shri Anil Vij :** Will the Minister for Local Government be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a road under bridge at Km. 261/3-4 on Ambala—Saharanpur railway line connecting Shastri Colony, Railway Colony and P & T Colony etc., with the city; and

(b) if so, the time by which the road is likely to be constructed ?

स्थानीय शासन मंत्री (डॉ० कमला वर्मा) :

(क) प्रस्ताव नगरपरिषद् अम्बाला सदर के विचाराधीन है।

(ख) नगरपरिषद् के पास फण्ड उपलब्ध होने पर सड़क निर्माण का कार्य किया जाएगा।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, बहन जी ने जो जवाब दिया है उसके लिए मैं बहन जी का धन्यवाद करता हूं लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि जो मैंने सवाल पूछा था उसको विभाग ने ठीक ढंग से नहीं समझा। बहन जी ने वहां पर सड़क बनाने का आश्वासन दिया है जबकि यह मामला सड़क बनाने का नहीं है। यह मामला तो अंडर ब्रिज बनाने का है। अध्यक्ष महोदय, यह जो रोड अंडर ब्रिज है it is a terminology. जो पुल रेलवे लाईन के नीचे बनाया जाता है उसे रोड अंडर ब्रिज कहा जाता है, और जो पुल रेलवे लाईन के ऊपर से बनाया जाता है उसे रोड ओवर ब्रिज कहा जाता है। अध्यक्ष महोदय, बहन जी ने वहां पर रोड बनाने का आश्वासन दिया है। मैं आपके माध्यम से बहन जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ये वहां पर अंडर ब्रिज बनवायेंगी ?

डॉ० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, भाई अनिल विज ने ठीक कहा है कि मैंने इनको रोड बनाने का आश्वासन दिया है। अगर इनका प्रपोजल अंडर ब्रिज बनाने का है तो उस पर विचार करना पड़ेगा और म्यूनिसिपल कमेटी के ई०ओ० को भी निर्देश दे दिये जायेंगे कि वह जाकर देखें और बतायें। मेरी भाई अनिल विज से प्रार्थना है कि ये म्यूनिसिपल कमेटी के ई०ओ० से मिल लें।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, इस स्थान पर पहले मुख्य शहर को शास्त्री कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी तथा पी० एण्ड टी० कॉलोनी इत्यादि को जोड़ता हुआ एक रोड था लेकिन आज से 25 वर्ष पूर्व जी०टी० रोड़ पर एक ओवर ब्रिज बनाया गया जिसके कारण यह रोड डिस्कनैक्ट हो गया। तब से इस क्षेत्र के लोग इस रोड को मुख्य शहर से जोड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं लेकिन आज तक वहां पर काम शुरू नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इन कॉलोनियों को दो तरह से ही मुख्य शहर के साथ जोड़ा जा सकता है, एक तो वहां पर रेलवे फाटक बनाकर तथा दूसरा वहां पर अंडर ब्रिज बनवाकर, जिसके लिए समय-समय पर रेलवे विभाग से सम्पर्क भी किया गया। पीछे 2 दिसम्बर को पूर्व रेल मंत्री पासवान जी अंबाला आये थे उस समय मैंने उनसे भी बात की थी और इस पर कार्यवाही भी शुरू हुई थी। रेलवे विभाग ने वहां पर अंडर ब्रिज बनाने के लिए 63,25,632 रुपये का एस्टीमेट भी बनाया था। अध्यक्ष महोदय, ऐसा ही प्रयास मैंने पहले 1990 में भी किया था तथा उस समय रेलवे

[श्री अनिल विज]

विभाग ने वहां पर फाटक बनाने के लिए 11,80,000 रुपये का एस्टीमेट पास किया था। अध्यक्ष महोदय, जार्ज फर्नांडीस जब रेल मंत्री थे उस समय का एक पत्र इन दोनों मामलों का मेरे पास है जो रेल विभाग द्वारा लिखा गया था। इन दोनों मामलों में रेलवे का यह कहना है कि यह काम तभी हो सकता है जब राज्य सरकार भी इस काम में 50:50 शेयर करेगी। इस संदर्भ में मैं बहन जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या लोगों की यह बहुत पुरानी मांग पूरी होगी ? यहां रेलवे लाइन क्रॉस करते हुये न जाने कितनी जाने जा चुकी हैं और कितने ही एक्सीडैन्ट हो चुके हैं इसलिए लोगों की इस जायज़ मांग को देखते हुये क्या इसके लिए कोई फण्ड्ज मुहैया करायेंगे और लोगों की 25 साल पुरानी मांग पूरी करेंगे ?

श्रीमती कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं मानती हूं कि भाई अनिल विज जी ने जो समस्या बताई है वह आम नागरिक की समस्या है और इस रेलवे फाटक के न बनने से लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। मैं यह भी जानती हूं कि रेलवे के साथ जिन कामों को करने के लिए कोई बात हो तो उसमें क्या परेशानी आती है। आपने रेलवे विभाग के साथ पत्र व्यवहार किया और उन्होंने कहा है कि स्टेट 50 प्रतिशत शेयर दे लेकिन देने के बाद भी वे यह ब्रिज नहीं बनायेंगे क्योंकि इसी तरह का जनमत हमें यमुनानगर में भी आया। यमुनानगर में एक ओवर ब्रिज रेलवे विभाग से बनवाना था, जहां बच्चों को आने-जाने में बहुत तकलीफ है लेकिन स्वीकृति आने पर भी अभी तक वह ब्रिज नहीं बनाया गया है। इसलिये अभी ये सड़क बनवा लें उसके बाद ब्रिज़ वाली बात पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, सड़क तो ब्रिज बनने के बाद ही बन सकती है और बिना ब्रिज के सड़क कैसे बनेगी।

डॉ० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, ये थोड़ा सा जो भी सुविधाजनक काम हो सकता है, उसे करवा लें जिससे कि लोगों को कुछ मदद मिल सके और आने-जाने में कोई दिक्कत न हो और भाई अनिल विज भी लोगों को कुछ कहने लायक हो सकेंगे। उसके बाद रेलवे के साथ पत्र व्यवहार करके जो भी हो सकेगा उसे करवा देंगे।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं बहन जी से दूसरी सप्लीमैंटरी पूछना चाहता हूं क्योंकि इस मामले में मेरे सिवाय और कोई भी माननीय सदस्य सवाल नहीं पूछते हैं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आपको पूरा मौका दिया जाता है और आप पूछ लें।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, इस ब्रिज को बनाने के लिये रेलवे विभाग की स्वीकृति है और उन्होंने एग्री किया हुआ है तथा एस्टीमेट भी बना कर दिया है, इस सम्बन्ध में मेरे पास यहां पत्र भी है। अध्यक्ष महोदय, मैं बहन जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि अगर रेलवे एग्री होगा तो क्या उसके लिए स्टेट गवर्नमैंट 50 प्रतिशत फण्ड्ज मुहैया करने के लिए तैयार है ?

डॉ० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, एस्टीमेट को देखते हुये विभाग के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया जायेगा और फाइनैंस डिपार्टमैंट मुझे फण्ड्स देगा तो सबसे पहले मैं अम्बाला के लिये ही पैसा दूंगी लेकिन मैं आश्वासन नहीं दे सकती। आश्वासन इसलिये नहीं दे सकती क्योंकि यह मामला पी०डब्ल्यू०डी० और रेलवे विभाग से जुड़ा हुआ है। एस्टीमेट के हिसाब से जो भी संभव हो सकेगा, वह कर देंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या 883

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्री सिरी कृष्ण हुड्डा सदन में उपस्थित नहीं थे।)

तारांकित प्रश्न संख्या 905

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्री नफे सिंह राठी सदन में उपस्थित नहीं थे।)

तारांकित प्रश्न संख्या 898

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्री बलबीर सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

तारांकित प्रश्न संख्या 912

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्री बलवन्त सिंह मायना सदन में उपस्थित नहीं थे।)

तारांकित प्रश्न संख्या 918

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्रीमती करतार देवी सदन में उपस्थित नहीं थी।)

तारांकित प्रश्न संख्या 932

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्री रमेश कुमार खटक सदन में उपस्थित नहीं थे।)

तारांकित प्रश्न संख्या 936

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्री जसविन्द्र सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

तारांकित प्रश्न संख्या 949

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्री राव नरेन्द्र सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

तारांकित प्रश्न संख्या 809

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, कैप्टन अजय सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Mr. Speaker : Questions Hour is over.

सदन के कार्यक्रम में परिवर्तन

Mr. Speaker : Hon'ble Members, according to Rule 30(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, Private Member's business is to be taken up on Thursday and the programme upto 12th February, 1999 as reported by the Business Advisory Committee was also adopted by the House. Only one private member's Resolution was received for Thursday, the 4th February, 1999, which was allowed for discussion by me but the same has been withdrawn by the concerned member. At present no private member business is pending for consideration for 4th February, 1999 before the House. In these circumstances, if this august House permits, Government business, i.e. General Discussion on budget for the year 1999-2000 be taken up on 4th February, 1999 to provide ample opportunity to the members on General Discussion on the Budget for the year 1999-2000.

Is it the pleasure of the House that the Non-official day be converted into the official day?

Voices : Yes.

Mr. Speaker : Non-official day fixed for 4th February, 1999 is converted into official day. Now, General Discussion on the Budget for the year 1999-2000 will be taken up on Thursday, the 4th February, 1999 as per changed programme.

वर्ष 1999-2000 का बजट पेश करना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Finance Minister will present the Budget Estimates for the year 1999-2000.

वित्त मंत्री (श्री चरण दास) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामय सदन के सामने वर्ष 1999-2000 के बजट अनुमान पेश करने जा रहा हूँ।

माननीय सदस्यगण, आप को ज्ञात ही है कि गत समय में हमारे देश ने आर्थिक क्षेत्र में किए गये कई बुनियादी सुधारों के परिणामस्वरूप आर्थिक मज़बूती की नई बुलन्दियों को छुआ है। हरियाणा के लोगों के अथक परिश्रम तथा राज्य के गतिशील नेतृत्व के कारण हरियाणा में आर्थिक उदारीकरण से बहुत लाभ पहुँचा है और हम अपने आर्थिक आधार को भी सुदृढ़ करने में अग्रणी रहे हैं। कुछ समय से एशियाई देशों की आर्थिक स्थिति औद्योगिक मंदी के दौर से गुज़र रही है, जिसका भारत की अर्थ-व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इन सबके परिणामस्वरूप और हाल ही में हुई भारी वर्षा के कारण हरियाणा राज्य की अर्थ-व्यवस्था की गति में कुछ कमी आई है। इसके बावजूद भी हमारी सरकार ने

मुख्यमन्त्री महोदय के योग्य दिशा निर्देशन और जनता के सहयोग से आर्थिक स्थिति का उचित प्रबन्धन किया है।

हमारे आर्थिक तथा सामाजिक सूचकांक से यह ज्ञात होता है कि हरियाणा आर्थिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में अविरत प्रगति कर रहा है। हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण, 1998-99, जिसे सदन के पटल पर रखा गया है, से वर्ष 1997-98 के लिये राज्य की समूची आर्थिक स्थिति की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश पड़ता है। हरियाणा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 1980-81 को आधार मानकर 1996-97 में 8,293 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 1997-98 में 8,381 करोड़ रुपये हो गया है, जो 1.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। चालू मूल्यों में राज्य की आय वर्ष 1996-97 में 34,089 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 1997-98 में 37,427 करोड़ रुपये हो गई, जो कि 9.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। क्षेत्रवार विश्लेषण से पता चलता है कि वर्ष 1997-98 में भारी वर्षा के कारण सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का अंशदान कम हो कर 8.3 प्रतिशत रह गया था, जबकि माध्यमिक तथा तृतीयक क्षेत्रों में क्रमशः 5.7 प्रतिशत तथा 8.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

चालू मूल्यों को आधार मानकर वर्ष 1997-98 में प्रति व्यक्ति आय 17,626 रुपये होने का अनुमान है जबकि वर्ष 1996-97 के दौरान यह आय 16,392 रुपये प्रति व्यक्ति थी। वर्ष 1980-81 के मूल्यों को आधार मानते हुए 1997-98 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 3,997 रुपये होने का अनुमान है जब कि वर्ष 1996-97 में यह आय 4,029 रुपये प्रति व्यक्ति थी।

राष्ट्रीय आर्थिकता में 1998-99 के दौरान मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि हुई है। अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, आधार 1982=100, मार्च, 1997 में 351 से बढ़कर मार्च, 1998 में 380 हो गया। अक्तूबर, 1998 में यह सूचकांक 433 हो गया, जिससे 13.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी प्रकार हरियाणा राज्य श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, आधार 1982=100, मार्च, 1997 में 325 से बढ़ कर मार्च, 1998 में 347 हो गया, जिससे 6.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, यह और बढ़कर अक्तूबर, 1998 में 396 हो गया, जिससे 14.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यद्यपि मुद्रास्फीति एक राष्ट्रीय समस्या है लेकिन महंगाई पर नियन्त्रण रखने के लिए राज्य सरकार ने अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 7,695 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से अनिवार्य वस्तुओं का वितरण किया और केन्द्रीय सरकार के इस दिशा में किये गये प्रयत्नों में योगदान दिया।

वर्ष 1998-99 के बजट अनुमानों के आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण से निजी तथा सरकारी क्षेत्र में किये गये 918 करोड़ रुपये के राज्य के अंशदान के अतिरिक्त 1,000 करोड़ रुपये की सीधी पूंजी जुटाने का पता चलता है। अतः वर्ष 1998-99 के दौरान कुल 1,918 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाने का अनुमान लगाया गया है।

आपद् राहत

माननीय सदस्यगण, आप जानते ही हैं कि अक्तूबर, 1998 के महीने में हमें बेमौसमी भारी वर्षा एवं तेज हवाओं के प्रकोप का सामना करना पड़ा। इससे फ़सलों को व्यापक रूप से हानि पहुँची है और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था पर इस का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

इस समस्या से निपटने के लिए राज्य के समूचे प्रशासकीय तन्त्र को कार्य में लगाया गया और बाढ़ से प्रभावित लोगों और क्षेत्रों में यथासमय राहत प्रदान की गई। सुरक्षा तथा पुनर्निर्माण कार्यों सहित आपदा

[श्री चरण दास]
से पहले तथा बाद के राहत उपायों हेतु 25 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। प्रभावित ज़िलों से पानी निकालने का कार्य व्यापक तौर पर किया गया है। माननीय सदस्यगण को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि दो मास की अल्प अवधि में 2.93 लाख एकड़ भूमि से पानी निकाल दिया गया। माननीय सदस्यगण इस बात की भी सराहना करेंगे की राज्य में बाढ़, सेम तथा लवणता की समस्या का सामना करने के लिये राज्य महायोजना तैयार की गई है।

मैं इस गरिमामय सदन को बताना चाहूंगा कि हमने फ़सलों में हुये नुकसान, पानी निकालने के कार्य पर हुए अतिरिक्त खर्च, सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों, सड़कों, स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा देखभाल तथा आवास को हुई हानि की क्षतिपूर्ति के लिए 757.29 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता की मांग करते हुये अक्तूबर, 1998 में केन्द्र सरकार को एक विस्तृत ज्ञापन दिया है। एक केन्द्रीय दल प्रभावित क्षेत्रों का पहले ही दौरा कर चुका है तथा हम उक्त सहायता की शीघ्र स्वीकृति के लिये केन्द्र सरकार पर दबाव बनाये हुए हैं।

9वीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002)

राज्य की 9वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 11,600 करोड़ रुपये का खर्च अनुमोदित किया गया है। यह खर्च आठवीं पंचवर्षीय योजना के 5,700 करोड़ रुपये के खर्च से 104 प्रतिशत अधिक है। इस खर्च हेतु 6,706 करोड़ रुपये की निधियाँ राज्य के संसाधनों तथा 4,894 करोड़ रुपये की निधियाँ केन्द्रीय सहायता से जुटाई जायेंगी। इस योजना में सिंचाई, बिजली, सड़कों और परिवहन के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है, जिनके लिये किया गया आवंटन कुल खर्च का 58.39 प्रतिशत है। सामाजिक सेवाओं के विस्तार, कृषि और ग्रामीण विकास को भी इतना ही महत्त्व दिया गया है। बाह्य सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के लिये 4,082.70 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है और प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देख-भाल, स्वच्छ पेयजल, आश्रयहीन निर्धन व्यक्तियों को आवास और निर्धन परिवारों के बच्चों को पोषाहार देने हेतु बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के लिये 627 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

वार्षिक योजना, 1998-99

15.00 बजे वार्षिक योजना, 1998-99 के लिये शुरू में 2,260 करोड़ रुपये अनुमोदित किये गये थे, जिसके लिये राज्य द्वारा अपने संसाधनों से 1,308.83 करोड़ रुपये और केन्द्रीय सहायता से 951.17 करोड़ रुपये की वित्त व्यवस्था की जानी थी। माननीय सदस्यगण जानते ही हैं कि देश में अत्यधिक आर्थिक मंदी के कारण हमारे राज्य के लिये निर्धारित केन्द्रीय संसाधनों में कमी आई है। केन्द्र की कर वसूली में भारी कमी आने के कारण केन्द्रीय करों में हमारा अंश कम होने की सम्भावना है। राज्य के लिये केन्द्रीय योजना सहायता में भी भारी कमी आने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को नगरपालिका के कर्मचारियों के वेतन खर्च को पूरा करने के लिये 8 करोड़ रुपये, पुलिस-दलों का दर्जा बढ़ाने के लिये 8.48 करोड़ रुपये, सहकारी चीनी मिलों को अनियन्त्रित शीरे की भिन्नता राशि की अदायगी के लिये 7 करोड़ रुपये तथा स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन बढ़ाने हेतु 1.75 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ग़ैर योजनागत खर्च करना पड़ा। संसाधनों में आई कमी को ध्यान में रखते हुये वार्षिक योजना, 1998-99 को संशोधित करके 1,800 करोड़ रुपये का कर दिया गया है, जो वर्ष 1997-98 के दौरान किये गये 1,249.66 करोड़ रुपये के वास्तविक खर्च से 44 प्रतिशत अधिक है, जो कि संतोषजनक है।

तथापि, यह सुनिश्चित किया गया है कि महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में निधियों के अभाव से निवेश में कोई कमी न हो।

माननीय सदस्यगण को यह जानकर हर्ष होगा कि हमारी सरकार ने विभिन्न सार्वजनिक अल्प बचत स्कीमों के अन्तर्गत ज्यादा राशि जमा करवाने के लिये अभियान चला कर संसाधनों को बढ़ाने का भरपूर प्रयास किया है। वर्ष 1997-98 में अल्प बचत स्कीमों के अन्तर्गत लक्ष्य 540 करोड़ रुपये एकत्रित करने का था जबकि 741 करोड़ रुपये एकत्रित किये गये। वर्ष 1998-99 में अल्प बचत स्कीमों के अन्तर्गत 840 करोड़ रुपये एकत्रित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके पूर्ण हो जाने की आशा है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, भारत सरकार से प्राप्त अल्प बचत कर्ज़ों का लक्ष्य 580 करोड़ से बढ़कर 660 करोड़ रुपये हो जाने की आशा है।

वार्षिक योजना, 1999-2000

राज्य सरकार ने वर्ष 1999-2000 के बजट अनुमान तैयार करते समय 9वीं योजना के विकास एवं कल्याण उद्देश्यों को ध्यान में रखा है। वार्षिक योजना, 1999-2000 का खर्च 2,300 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जो वार्षिक योजना 1998-99 के 1,800 करोड़ रुपये के संशोधित खर्च से 27.7 प्रतिशत अधिक है। 2,300 करोड़ रुपये के खर्च के लिये 1,341.53 करोड़ रुपये की निधियाँ राज्य के अपने संसाधनों तथा 958.47 करोड़ रुपये की निधियाँ केन्द्रीय सहायता से जुटाई जायेंगी।

क्षेत्रवार आवंटन करते समय हमने संसाधनों का उचित प्रयोग, पहले से किये गये प्रयत्नों के समामेलन तथा मुख्य क्षेत्रों में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिये सावधानी बरती है। हमारी सरकार ने बिजली, सिंचाई, सड़कों तथा परिवहन क्षेत्रों में बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने पर विशेष ध्यान देना जारी रखा है, जिसके लिये 1,472 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है, जो कि कुल खर्च का **64** प्रतिशत है। इसमें सिंचाई तथा बाढ़-नियन्त्रण के लिये 581 करोड़ रुपये (25.26 प्रतिशत), बिजली के लिये 500.80 करोड़ रुपये (21.77 प्रतिशत) तथा परिवहन क्षेत्र के लिये 390.20 करोड़ रुपये (16.97 प्रतिशत) सम्मिलित हैं। 525.43 करोड़ रुपये के प्रावधान से सामाजिक सेवाओं के विस्तार में निवेश को भी उच्च प्राथमिकता दी गई है, जो कुल खर्च का 22.85 प्रतिशत है, जिसमें सामान्य, तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार के लिये 206.21 करोड़ रुपये, पेयजल आपूर्ति तथा सफ़ाई के लिये 63 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा के लिये 53.27 करोड़ रुपये, शहरी विकास के लिये 34 करोड़ रुपये और सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण स्कीमों के लिये 135.45 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं। कृषि तथा सम्बद्ध सेवाओं के विस्तार हेतु 118.08 करोड़ रुपये, ग्रामीण एवं विशेष क्षेत्र विकास हेतु 68.05 करोड़ रुपये, उद्योग हेतु 71.39 करोड़ रुपये तथा अन्य सेवाओं हेतु 45.05 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

बाह्य सहायता-प्राप्त परियोजनाओं हेतु वार्षिक योजना, 1998-99 के 511.97 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वार्षिक योजना, 1999-2000 में 1,013.83 करोड़ रुपये करने का प्रावधान किया गया है। इसमें जल संसाधन समेकन परियोजना के लिए 405 करोड़ रुपये, राज्य राजमार्गों के उन्नयन के लिये 316 करोड़ रुपये तथा बिजली पुनर्संरचना कार्यक्रम के लिये 150 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं। हमारी सरकार अपने नागरिकों को बुनियादी न्यूनतम सेवाएं प्रदान करने के लिये विशेष रुचि लेती है। प्राथमिक शिक्षा की सर्वव्यापकता, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छ पेयजल, अनुपूरक पोषाहार तथा बस्तियों/गाँवों के संयोजन के क्षेत्र में इन सेवाओं हेतु 120 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। राज्य के दो

[श्री चरण दास]

कम विकसित क्षेत्रों, मेवात तथा शिवालिक क्षेत्र के विकास की ओर विशेष ध्यान देने के लिये सामान्य विभागीय उपबन्धों के अतिरिक्त 21.50 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

चालू विकास योजनाओं को जारी रखने के साथ-साथ अगले वर्ष के लिये सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गये निवेश से आर्थिक विकास की गति तेज़ होगी।

इन्फ्रास्ट्रक्चर

(i) बिजली

राज्य सरकार ने राज्य के उपभोक्ताओं को आश्वासित तथा गुणवत्ता-युक्त बिजली देने के लिये बिजली क्षेत्र में सुधार तथा पुनर्गठन हेतु महत्त्वपूर्ण कदम उठाये हैं। अगस्त, 1998 में **हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (एच.पी.जी.सी.एल.)** तथा **हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एच.वी.पी.एन.)** नामक राज्य के स्वामित्व वाली दो नयी कम्पनियों के रूप में हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की पुनः संरचना की गई है। 16 अगस्त, 1998 को एक स्वतन्त्र **हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग** की स्थापना की गई है, जिसे राज्य के विद्युत उद्योग में प्रतिस्पर्धा तथा कार्यकुशलता लाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। यह आयोग उपभोक्ता सेवा तथा सुरक्षा के स्तर निश्चित करके उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करेगा।

बिजली क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा किये गये इन महत्त्वपूर्ण उपायों के परिणामस्वरूप, आशा की जाती है कि इस क्षेत्र में पहले की अपेक्षा अधिक कार्यकुशलता से कार्य होगा। सरकार की, राज्य में बिजली की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये 18 महीनों के दौरान लगभग **1,200 मैगावाट** नयी क्षमता सम्मिलित करने की योजना है। राष्ट्रीय तापीय-विद्युत निगम, फरीदाबाद में गैस पर आधारित 432 मैगावाट क्षमता का तापीय बिजली केन्द्र स्थापित कर रहा है। यहां की बिजली पूर्णतया राज्य के लिये होगी। पानीपत तापीय विद्युत केन्द्र की 210 मैगावाट की छठी इकाई का कार्य पुनः आरम्भ किया गया है तथा इकाई द्वारा मार्च, 2000 तक बिजली उत्पादन आरम्भ करने की सम्भावना है। पानीपत में 110 मैगावाट की चार वर्तमान इकाइयों को पुनः कार्योपयोगी बनाने, आधुनिक बनाने तथा उनकी कार्य-क्षमता अवधि बढ़ाने का कार्य चल रहा है। पुनः कार्योपयोगी बनाने का कार्य पूर्ण होने पर इकाइयाँ संयंत्र लोड फैक्टर के लगभग 80 प्रतिशत पर कार्य करेंगी। निजी क्षेत्र में 25-25 मैगावाट के तरल ईंधन पर आधारित 12 केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं तथा इनमें से 25 मैगावाट के एक उत्पादन केन्द्र ने गुड़गांव में कार्य करना आरम्भ कर दिया है। राज्य, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के माध्यम से यमुनानगर तथा हिसार में 500-500 मैगावाट की तापीय बिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिये सक्रिय रूप से कार्यवाही कर रहा है। इन बिजली परियोजनाओं के लिये भूमि की खरीद की जा चुकी है। माननीय सदस्यगण, आशा है कि इन उत्पादन क्षमताओं के बढ़ने के साथ ही 24 घंटे आश्वासित बिजली सप्लाई का वायदा पूरा हो जायेगा।

सरकार, बिजली के क्षेत्र को पूर्ण वित्तीय सहायता देने के लिये वचनबद्ध है और वर्ष 1999-2000 के दौरान बिजली के लिये खर्च बढ़ा कर 943 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जबकि वर्ष 1998-99 के लिये यह खर्च 824.75 करोड़ रुपये था। विश्व-बैंक द्वारा राज्य के सुधार एवं पुनर्संरचना कार्यक्रम के समर्थन के लिये 2,400 करोड़ रुपये का ऋण अनुमोदित किया गया है। यह ऋण पांच किस्तों में दिया जायेगा और 240 करोड़ रुपये की पहली किस्त निर्धारित समय पर दी जा रही है। विश्व-

बैंक के एक दल ने हाल ही में हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम का दौरा किया है ताकि लगभग 1,000 करोड़ रुपये के विश्व-बैंक ऋण की दूसरी किस्त के सम्बन्ध में ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जा सके।

(ii) सिंचाई सुविधायें

माननीय सदस्यगण, आप जानते ही हैं कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध करवाना हमारी सरकार के लिये मुख्य सोच का विषय रहा है। राज्य में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिये सरकार, पंजाब भाग में सतलुज-यमुना योजक नहर को पूरा करवाने के लिये कोशिश कर रही है। इसके लिये राज्य सरकार, अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद समाधान क्रियाविधि को सुचारू रूप देने के लिये एक वर्ष के अन्दर-अन्दर अन्तिम निर्णय लेने वाला **स्थायी न्यायाधिकरण** स्थापित करने तथा इसके निर्णय को छः मास में लागू करने के लिये भारत सरकार से आग्रह कर रही है।

सिंचाई व्यवस्था के पुनर्निर्माण, वर्तमान नहर तथा जल-निकास प्रणाली के आधुनिकीकरण और **हथनी कुण्ड बैराज** के निर्माण के लिये विश्व-बैंक सहायता प्राप्त **जल संसाधन समेकन परियोजना** को शुरू हुये पांचवां वर्ष चल रहा है। हथनी कुण्ड बैराज के निर्माण-कार्य पर दिसम्बर, 1998 तक 113.90 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है और इस परियोजना के जून, 1999 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

राज्य में बेहतर सिंचाई सुविधायें प्रदान करने और बाढ़-सुरक्षा उपायों की व्यवस्था के लिये राज्य सरकार द्वारा आर.आई.डी.एफ. I, II, III, के अन्तर्गत नाबार्ड की सहायता से विभिन्न स्कीमें चलायी जा रही हैं। दिसम्बर, 1998 तक इन स्कीमों पर 23.78 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। माननीय सदस्यगण को यह जानकर हर्ष होगा कि नाबार्ड द्वारा 39.60 करोड़ रुपये की राशि वाली **रिवाड़ी उठान सिंचाई स्कीम** 1998-99 में मंजूर कर दी गई है और इस स्कीम के अन्तर्गत जिला रिवाड़ी, गुड़गाँव और झज्जर के ऊंचे-नीचे तथा सिंचाई सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों को सिंचित किया जायेगा। इससे 99 गांवों के 78,790 एकड़ क्षेत्र को सिंचाई सुविधाएं प्राप्त होंगी। भिंडावास योजक नाले में गिरने वाले **भिवानी-दादरी नाले के निर्माण** के लिये 43 करोड़ रुपये की लागत वाली एक नयी परियोजना अनुमोदन हेतु नाबार्ड को भेजी गई है, इस परियोजना से भिवानी और दादरी को बाढ़ और जल स्तर ऊपर उठने से राहत मिलेगी।

भाखड़ा मुख्य नहर और नरवाना शाखा की जल क्षमता को बहाल करने के लिये राज्य सरकार ने पंजाब सरकार को अब तक 10.84 करोड़ रुपये की निधियाँ दी हैं, जिसमें वर्ष 1998-99 के दौरान दी गई 4.64 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। भाखड़ा मुख्य नहर का 142.07 किलोमीटर में से 77.77 किलोमीटर और नरवाना शाखा का 49.01 किलोमीटर में से 32.39 किलोमीटर का निर्माण-कार्य पूरा हो चुका है। मैं इस गरिमामय सदन को सूचित करना चाहूँगा कि **आगरा नहर** से निकलने वाले जिन 11 जलमार्गों का रख-रखाव अब तक उत्तर प्रदेश प्राधिकारियों द्वारा किया जाता था, अब वह हरियाणा सिंचाई विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिससे सिंचाई-सेवाओं में पर्याप्त सुधार होगा।

मेवात क्षेत्र में सिंचाई सुविधायें प्रदान करने के लिये **मेवात उठान सिंचाई स्कीम** तैयार की गई है, जहां पर भू-गत जल ज्यादातर खारा है तथा नलकूप सिंचाई सफल नहीं है। वर्षा बहुत कम होती है। इस स्कीम के अन्तर्गत मेवात नहर का निर्माण किया जायेगा, जो यमुना नदी पर प्रस्तावित पलवल बैराज से जल ग्रहण करेगी। यह परियोजना केन्द्रीय जल आयोग के पास अनुमोदन के लिये विचाराधीन है।

वर्ष 1999-2000 के लिये सिंचाई तथा बाढ़-नियन्त्रण निर्माण-कार्यों के अन्तर्गत 909.84 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

[श्री चरण दास]

(iii) सड़कें तथा भवन

उत्तम यातायात सुविधाओं के महत्त्व को महसूस करते हुये राज्य सरकार ने 9वीं योजना में 2,800 किलोमीटर सड़कों में सुधार करने और 450 किलोमीटर नयी सड़कें बनाने पर बल दिया है और सड़कों और पुलों के लिये 1,130 करोड़ रुपये का खर्च रखा है।

राज्य में **सड़कों की मरम्मत** के लिये चालू वर्ष में व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया है। राज्य की सड़कों में संतोषजनक स्तर तक सुधार करने हेतु राज्य सरकार कृतसंकल्प है। वर्ष 1998-99 के दौरान नवम्बर तक 1931 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत और सुधार किया गया है और 35.30 किलोमीटर नयी सड़कें बनाई गई हैं। वर्ष 1999-2000 के दौरान विभिन्न योजनागत तथा गैर-योजनागत स्कीमों के अन्तर्गत 400 करोड़ रुपये के प्रावधान से 65 किलोमीटर नई सड़कें बनाने और लगभग **2,520** किलोमीटर सड़कों में सुधार करने का प्रस्ताव है।

सड़क-व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये **बिल्ड, ऑपरेट तथा ट्रांसफर** प्रणाली के अन्तर्गत प्रथम परियोजना स्वीकृत की जा चुकी है। इसके अन्तर्गत फरीदाबाद में रेलवे-ओवर ब्रिज के निर्माण की परियोजना है, जिससे शहर में यातायात की भीड़ कम करने में सहायता मिलेगी। बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर सिद्धान्त पर और परियोजनाओं को भी अन्तिम रूप दिया जा रहा है तथा इससे राज्य में सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर के सुधार की गति अधिक तेज़ होगी। राज्य सरकार के प्रयत्नों से अम्बाला-पेहवा-हिसार-राजगढ़ सड़क, जो कि एक राज्य राजमार्ग था, केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 घोषित कर दिया गया है और इस सड़क को उन्नत करने के लिये अनुमान तैयार करने का कार्य आरम्भ किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, कुल 448 किलोमीटर लम्बे पांच राज्य राजमार्गों को केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जा चुका है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 पर बहादुरगढ़-रोहतक के क्षेत्र को चार-मार्गी बनाने के लिये केन्द्र सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। कुण्डली से समालखा तक के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 को प्रधानमंत्री महोदय द्वारा हाल ही में घोषित एक्सप्रैसवेज़ परियोजना के अन्तर्गत छः-मार्गी बनाया जाना है। यह देश में शुरू की जा रही प्रथम 20 ऐसी परियोजनाओं में से एक है। झज्जर में 4.11 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला बाई-पास निर्माणाधीन है और इसके 1999-2000 में मुकम्मल हो जाने की सम्भावना है।

माननीय सदस्यगण, राज्य सरकार, राज्य के ज़िला तथा उप-मण्डल मुख्यालयों में न्यायिक परिसर तथा लघु सचिवालयों का निर्माण करके प्रशासकीय प्रणाली को सुचारू बनाने के लिये वचनबद्ध है। पंचकूला में लघु सचिवालय और अम्बाला फेज़-II लघु सचिवालय बनकर तैयार हो चुके हैं और वहां कार्यालयों ने कार्य करना शुरू कर दिया है। कैथल में लघु सचिवालय भवन का निर्माण-कार्य पूर्ण हो चुका है। रिवाड़ी, झज्जर, फतेहाबाद, रोहतक, करनाल और यमुनानगर में लघु सचिवालय निर्माणाधीन हैं।

राज्य सरकार ने **हरियाणा राज्य सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निगम** स्थापित करने का सिद्धान्त रूप में निर्णय लिया है, जो निजी और निगमित क्षेत्रों की भागीदारी के माध्यम से इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास परियोजनाओं का शीघ्र पूरा होना सुनिश्चित करेगा।

सड़कों और भवनों के लिये वर्ष 1999-2000 में विभिन्न योजनागत तथा गैर-योजनागत स्कीमों के अन्तर्गत कुल 550 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है।

(iv) जन-स्वास्थ्य

राज्य सरकार, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति तथा जल-निकास सुविधा प्रदान करने को उच्च प्राथमिकता दे रही है।

वर्ष 1998-99 के दौरान, 550 गाँवों में पेयजल आपूर्ति बढ़ाकर 40/55 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक करने का प्रस्ताव था तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये राज्य न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 29.60 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई थी तथा 20.25 करोड़ रुपये भारत सरकार से प्राप्त होने थे। दिसम्बर, 1998 तक 340 गाँवों में जल आपूर्ति 40/55 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक बढ़ा दी गई है और वर्ष 1999-2000 के दौरान 550 और गाँवों में जल आपूर्ति बढ़ाकर 40/55 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक किये जाने का प्रस्ताव है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये राज्य की योजना में 30 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है तथा **त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम** के अन्तर्गत भारत सरकार से 20 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होने की सम्भावना है।

राज्य के सम्भावी मरुस्थलीय क्षेत्रों में इस वर्ष दिसम्बर तक 32 गाँवों में जल आपूर्ति 70 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक बढ़ा दी गई है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 100 और गाँवों को इस स्कीम के अन्तर्गत लाये जाने की सम्भावना है। वर्ष 1999-2000 के दौरान 150 और गाँवों को इस स्कीम के अन्तर्गत लाने के लिये भारत सरकार से 15 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होने की आशा है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1998-99 के दौरान गैर-मरुस्थलीय क्षेत्रों के 400 गाँवों में जल आपूर्ति 70 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक बढ़ा दी गई है। **ग्रामीण जल-निकास कार्यक्रम** के अन्तर्गत चालू वित्त वर्ष में 2 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई तथा तीन गाँवों में जल-निकास सुविधायें प्रदान की जा रही हैं। वर्ष 1999-2000 के दौरान, इस कार्यक्रम के लिये 2.35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है तथा लगभग 15 गाँवों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाये जाने का प्रस्ताव है।

फ्लोरोसिस नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत, भारत सरकार ने वर्ष 1997 में महेन्द्रगढ़ तथा रिवाड़ी जिलों में दो परियोजनायें अनुमोदित की थीं तथा इनके लिये वर्ष 1998-99 के दौरान 3.40 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जानी थी। दिसम्बर, 1998 तक 32 गाँवों के लिए फ्लोरोसिस-मुक्त जल की व्यवस्था की गई। मार्च, 2000 तक इस स्कीम के अन्तर्गत 193 गाँवों में स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाने का प्रस्ताव है।

वर्ष 1998-99 के दौरान, **शहरी जल आपूर्ति** हेतु 13 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है तथा 17 नगरों में पर्याप्त संवर्धन निर्माण-कार्य आरम्भ किये जा रहे हैं। चालू वर्ष के दौरान, 4.68 करोड़ रुपये के उपबन्ध से 8 नगरों में मुख्य मल-निकास निर्माण-कार्य आरम्भ किये जा रहे हैं। वर्ष 1999-2000 के दौरान, शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति सुविधायें बढ़ाने हेतु 14.10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है तथा यमुना कार्य योजना के अन्तर्गत न आने वाले नगरों में मल-निकास प्रणाली में सुधार हेतु 4.75 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में **मूलभूत सुविधाओं** में सुधार के लिये भारत सरकार ने दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर गुड़गांव, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, रिवाड़ी तथा होडल और इस क्षेत्र में आने वाले दो गांवों में जल आपूर्ति सेवाओं के उन्नयन के लिये 24.82 करोड़ रुपये का अनुदान मंजूर किया है। इसके अतिरिक्त, इस परियोजना में पानीपत नगर से बाढ़ के पानी की निकासी के लिये नाले की रिमॉडलिंग की जायेगी। इस परियोजना को आरम्भ कर दिया गया है और इसके निर्माण-कार्यों के 1999-2000 में पूर्ण होने की सम्भावना है।

[श्री चरण दास]

राज्य के 12 नगरों में 232.20 करोड़ रुपये की लागत से **यमुना कार्य-योजना** के अन्तर्गत मल-शोधन संयन्त्रों की व्यवस्था सम्बन्धी निर्माण-कार्य में अच्छी प्रगति हो रही है। फरीदाबाद में एक मल-शोधन संयन्त्र आरम्भ किया गया है, जबकि दूसरा संयन्त्र गुड़गाँव में आरम्भ किया गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत दिसम्बर,1998 तक 170.90 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। वर्ष 1997-98 से यमुना कार्य-योजना पूर्णतया केन्द्र चालित स्कीम बन गई है।

जनस्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनागत एवं गैर योजनागत स्कीमों के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 के लिये 354.84 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

कृषि एवं सम्बद्ध कार्य

कृषि, राज्य सरकार की एक मुख्य प्राथमिकता है और राज्य द्वारा इस क्षेत्र में स्कीमों को बढ़ाने के लिये विशेष ध्यान दिया जा रहा है। माननीय सदस्यगण, अच्छी पैदावार सुनिश्चित करने के लिये प्रमाणित बीजों, उर्वरकों, खरपतवार नाशक दवाइयों जैसे कृषि इन्पुटों की सप्लाई तथा फसली कर्जे देना सुनिश्चित किया जा रहा है। वर्ष 1998-99 के दौरान 3.94 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किये गये। यद्यपि, राज्य में अक्तूबर, 1998 मास में बेमौसमी भारी वर्षा हुई, जिससे खरीफ की खड़ी फसल को भारी नुक्सान हुआ परन्तु पानी निकालने का कार्य पूरे ज़ोरों से किया गया, परिणामस्वरूप वर्ष 1998 में 31.33 लाख हैक्टेयर के बड़े क्षेत्र में रबी की फसल की बुवाई की गई, जब कि वर्ष 1997-98 में 30.29 लाख हैक्टेयर क्षेत्र की बुवाई की गई थी। खरीफ और रबी को मिलाकर वर्ष 1998-99 में खाद्यान्न का 114.42 लाख टन तथा तिलहनों का 9.20 लाख टन उत्पादन होने की आशा है। वर्ष 1999-2000 में खाद्यान्न तथा तिलहनों का उत्पादन लक्ष्य क्रमशः 122.50 लाख टन तथा 10.20 लाख टन निर्धारित किया गया है।

राज्य सरकार, पिछड़े क्षेत्रों में कृषि-विकास के लिये विशेष परियोजनायें चला रही है। **एकीकृत जल संग्रहण विकास परियोजना (काण्डी क्षेत्र)** के अन्तर्गत दिसम्बर, 1998 तक 5.74 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है। **लवणयुक्त भूमि के सुधार के लिये इण्डो-डच आप्रेशनल पायलट परियोजना** के अन्तर्गत ज़िला सोनीपत में जवाहर फीडर नहर के निकट चलायी जा रही परियोजना के लिये दिसम्बर, 1998 तक 76.30 लाख रुपये खर्च किये गये और वर्ष 1999-2000 में इस परियोजना के लिये 2.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। **कृषि मानव संसाधन विकास परियोजना** के अन्तर्गत, वर्ष 1998-99 में 9.05 करोड़ रुपये की राशि रखी गई, जिसे वर्ष के दौरान खर्च करने की सम्भावना है तथा वर्ष 1999-2000 के लिये 26.68 करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान किया गया है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कृषि उत्पादनों की बिक्री, क्रय, विधायन एवं भण्डारण को विनियमित करने के लिये विपणन व्यवस्था को मज़बूत किया जा रहा है। बोर्ड द्वारा दिल्ली के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग नं01 पर सोनीपत ज़िले में स्थित राई में 400 करोड़ रुपये की लागत से एक आधुनिक बागवानी विपणन एवं विधायन केन्द्र विकसित करने की योजना तैयार की गई है। इस कार्य के लिये 550 एकड़ भूमि की खरीद की गई है। यह केन्द्र सीमावर्ती एवं थोक माल की मण्डी होगी, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय और अन्तर्राज्यीय स्तर पर फलों तथा सब्जियों का व्यापार होगा।

खरीफ 1998-99 के मौसम में राज्य द्वारा केन्द्रीय पूल में तीन लाख टन चावल का योगदान दिया जायेगा और आशा की जाती है कि विपणन वर्ष 1999-2000 के दौरान राज्य द्वारा 36 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद की जायेगी। किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण लोगों के लिये रोज़गार के अतिरिक्त अवसर जुटाने हेतु बागबानी के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। ज्ञान-गोष्ठियों, विचार-गोष्ठियों और प्रदर्शनियों का आयोजन करके बागबानी के क्षेत्र-विस्तार, गुणवत्ता-सुधार और नयी तकनीकें शुरू करने पर भी मुख्य रूप से बल दिया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप, फल और सब्जियों का उत्पादन वर्ष 1990-91 के दौरान 9.02 लाख टन से बढ़ कर वर्ष 1998-99 के अन्त तक 18.40 लाख टन हो जाने की सम्भावना है। फूलों की खेती के अधीन आने वाला क्षेत्र वर्ष 1990-91 के दौरान 50 हैक्टेयर से बढ़ कर वर्ष 1998-99 के दौरान 2,200 हैक्टेयर हो गया है। खुम्बी के उत्पादन में इसी अवधि के दौरान चार गुणा वृद्धि हुई है तथा चालू वर्ष के दौरान 3,200 टन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेने की सम्भावना है। बागबानी गतिविधियों के लिये वर्ष 1999-2000 में 4.00 करोड़ रुपये का योजनागत खर्च अनुमोदित किया गया है।

पशुपालन, हमारे राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास तथा रोज़गार के लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध की प्राप्ति में हरियाणा, देश में दूसरे स्थान पर है। चालू वर्ष के दौरान दो पशु-औषधालयों का दर्जा बढ़ा कर पशु अस्पताल बनाया गया है तथा चार नये पशु-अस्पताल खोले गये हैं। वर्ष 1999-2000 में नये पशु-अस्पताल खोलने तथा पशु-औषधालयों और स्टॉकमैन केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने के लिये 4.80 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। विश्व प्रसिद्ध **मुर्रा** भैंस के 'जर्मप्लाज़्म' के परिरक्षण के लिये अधिकतम दुग्ध उत्पादक मुर्रा भैंसों के मालिकों को प्रोत्साहन देने तथा मुर्रा कटड़ों को खरीदने तथा इन भैंसों के बीमे के लिये चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार द्वारा एक करोड़ रुपये की राशि खर्च करने की सम्भावना है। इसी प्रकार सरकार, राज्य में दुग्ध उत्पादन को और अधिक प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से **हरियाना** तथा **साहीवाल** गायों की नस्लों का रक्षण तथा उनमें सुधार लाने की इच्छुक है। वर्ष 1999-2000 के लिये इस क्षेत्र की विभिन्न योजनागत तथा गैर योजनागत स्कीमों हेतु 82.88 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव किया जा रहा है।

राज्य, आर्थिक विकास तथा परिवेश-संरक्षण के लिये वनों के महत्त्व को मान्यता प्रदान करता है। दिसम्बर, 1998 तक 32.44 करोड़ रुपये के खर्च से 15,189 हैक्टेयर भूमि में वनरोपण किया गया है। वर्ष 1998-99 के दौरान, 4 लाख पॉपुलर के पौधे अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित किसानों को अपने खेतों में लगाने के लिये दिये गये हैं। वर्ष 1991 से चल रही **अरावली पहाड़ियों में शामलात भूमि पर वनरोपण** परियोजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 1998 तक 38,000 हैक्टेयर से भी अधिक पंचायती भूमि पर वनरोपण किया गया है। चालू वर्ष के दौरान **यूरोपीय संघ** द्वारा सहायता-प्राप्त नयी परियोजना 126 करोड़ रुपये की लागत से आरम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत आगामी 9 वर्षों की अवधि में 27,380 हैक्टेयर भूमि पर वनरोपण किया जायेगा। वर्ष 1999-2000 के दौरान वन, भू-संरक्षण तथा वन्य प्राणी कार्यक्रमों के लिये योजनागत एवं गैर योजनागत स्कीमों के अन्तर्गत 62.11 करोड़ रुपये के खर्च का प्रस्ताव है।

वर्ष 1999-2000 के दौरान योजनागत तथा गैर योजनागत स्कीमों के लिये राज्य के कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों के क्षेत्र में 316.07 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है।

सहकारिता

हरियाणा में सहकारिता आन्दोलन लगातार सुदृढ़ हुआ है तथा इसके अन्तर्गत द्वारा सहकारिता

[श्री चरण दास]

डेरी सहकारिता, विपणन सहकारिता, चीनी मिलें, लघु उद्योग तथा कृषि-गतिविधियाँ क्षेत्र आते हैं। वर्ष 1997-98 के 1,293.48 करोड़ रुपये के मुकाबले वर्ष 1998-99 के दौरान 1802 करोड़ रुपये के फ़सली ऋण दिये गये और 125.95 करोड़ रुपये के लम्बी अवधि के ऋण दिये गये। गन्ना-पिड़ाई मौसम 1998-99 के दौरान, सहकारी चीनी मिलों के लिए स्वीकृत नकद ऋण सीमा 204 करोड़ रुपये है। सहकारी चीनी मिलों में गन्ने की आमद पिछले वर्ष के 220.33 लाख क्विंटल के मुकाबले इस मौसम में 250 लाख क्विंटल होने की सम्भावना है। राज्य में अब तक सहकारी चीनी मिलों ने लगभग 120.37 लाख क्विंटल गन्ने की पिड़ाई की है तथा 9.75 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया है। राज्य सरकार ने चालू मौसम के दौरान गन्ने की विभिन्न किस्मों के मूल्य में 13 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। वर्ष 1998-99 के दौरान गन्ना विकास पर 9.23 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई तथा गन्ना विकास के लिए वर्ष 1999-2000 के दौरान 22.10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

अप्रैल, 1998 से नवम्बर, 1998 की अवधि के दौरान डेरी समितियों द्वारा 4.35 करोड़ लीटर दुग्ध की रिकार्ड खरीद की गई तथा इसी अवधि के दौरान क्षमता उपयोगिता बढ़कर 80.3 प्रतिशत हो गई है, जो कि एक रिकार्ड है। भारत सरकार द्वारा जुटाई गई निधियों से **हरियाणा महिला डेरी परियोजना** वर्ष 1998-99 में कुल 4.48 करोड़ रुपये की लागत से ग्रामीण महिलाओं के लिये आरम्भ की गई है, जिसमें भारत सरकार का हिस्सा 3.92 करोड़ रुपये है। इस परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 के लिए 1.29 करोड़ रुपये तथा वर्ष 1999-2000 के लिये 1.71 करोड़ रुपये के खर्च की व्यवस्था है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत समितियों के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर जुटाने से दस हज़ार महिलाओं को लाभ मिलेगा।

वर्ष 1999-2000 के लिये सहकारिता क्षेत्र हेतु कुल 31.19 करोड़ रुपये के योजनागत तथा गैर योजनागत खर्च का प्रस्ताव है।

उद्योग

माननीय सदस्यगण, हरियाणा तेज़ी से औद्योगिक विकास के एक मुख्य केन्द्र के रूप में सामने आ रहा है। अच्छी संचार सुविधायें, बिजली, जल, विकसित औद्योगिक सम्पदायें, तकनीकी संस्थान और विकसित बाज़ार की उपलभ्यता जैसी उत्कृष्ट मूलभूत सुविधायें हरियाणा में उपलब्ध हैं। वर्ष 1997-98 के दौरान हरियाणा से 2,961 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया, जोकि एक कीर्तिमान है। नवम्बर, 1998 तक इसमें 1,748 करोड़ रुपये के सामान का निर्यात किया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 45 **औद्योगिक उद्यमकर्त्ता ज्ञापन** पेश किए गये, जिनसे 294 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त होगा। वर्ष 1998-99 में 29.20 करोड़ रुपये के निवेश से पांच बड़े तथा मध्यम स्तर के उद्योग लगाये गये और 1,099 छोटे उद्योग स्थापित किये गये। चालू वर्ष के दौरान 59 करोड़ रुपये के सीधे विदेशी निवेश वाले 29 प्रस्ताव अनुमोदित किये जा चुके हैं।

राज्य में औद्योगिक विकास की गति को तेज़ करने के लिये वर्ष 1998-99 में **औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास नीति** को संशोधित किया गया है। उच्च तथा मध्यम क्षमता वाले क्षेत्र के लिये पांच करोड़ या पांच करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाले तथा निम्न क्षमता वाले क्षेत्र में तीन करोड़ रुपये या इससे अधिक निवेश वाली औद्योगिक परियोजनाओं के लिये अब तुरन्त प्लॉट अलॉट करने की व्यवस्था की गई है। राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की गति को और अधिक तेज़ करने के लिये उन

इलाकों के लिये निषेधात्मक सूची में आने वाले उद्योगों को कम किया गया है। उद्योगीकरण के विकास के लिये **हरियाणा औद्योगिक नीति** की बुनियादी नीति की अनुपालना में सरकार द्वारा प्लॉटों की अलॉटमेंट तथा ट्रान्सफर, औद्योगिक प्लॉटों को पट्टे पर एवं किराये पर देने, भूमि उपयोग के परिवर्तन, श्रम विधि, बिक्री कर नियमों और प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से सम्बन्धित प्रक्रिया और अनेक नियमों को सरल बनाने के लिये कई उपाय किये गये हैं।

हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम ने वर्ष 1998-99 के दौरान नवम्बर, 1998 तक 41.72 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये हैं। इसी अवधि के दौरान, हरियाणा वित्त निगम ने कुल 77.04 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये हैं। औद्योगिक सम्पदाओं के विकास के लिये हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम ने वर्ष 1998-99 के दौरान अब तक 15.78 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। औद्योगिक मॉडल टाउनशिप, मानेसर में विकास कार्य तेज़ी से चल रहे हैं। विकास केन्द्र, बावल, फेज़-I में इस वर्ष निर्माण-कार्य पूरा हो चुका है और फेज़-II में लगभग 500 एकड़ भूमि पर कार्य चल रहा है और आगामी तीन वर्षों के दौरान इस पर 125 करोड़ रुपये का निवेश होने की सम्भावना है। कुण्डली में औद्योगिक सम्पदा के विकास के लिये भूमि की खरीद की जा रही है और गन्नौर के निकट बाहरी में 500 एकड़ से अधिक भूमि पर हौज़री कॉम्प्लैक्स विकसित किया जा रहा है। चालू वित्त वर्ष के दौरान मानकपुर (जगाधरी) में लगभग 125 एकड़ भूमि पर औद्योगिक सम्पदा विकसित की जा रही है। वर्ष 1999-2000 के दौरान 2,000 लघु औद्योगिक यूनिट तथा 40 बड़े तथा मध्यम दर्जे के औद्योगिक यूनिट स्थापित करने की सम्भावना है। हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम ने उन गाँवों में कुछ सामान्य सुविधायें प्रदान करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया है, जहां पर **गाँव विकास स्कीम** के अन्तर्गत औद्योगिक सम्पदायें स्थापित करने के लिए भूमि की खरीद की जाती है। इस स्कीम के अन्तर्गत, गाँवों के युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण तथा औद्योगिक रोज़गार प्रदान किया जाता है।

राज्य सरकार का वर्ष 1999-2000 के दौरान औद्योगिक विकास की विभिन्न योजनागत तथा गैर-योजनागत स्कीमों में 92.36 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है।

राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के पर्यावरण को साफ़-सुथरा रखने के लिए आवश्यक उपाय किये गये हैं। कुण्डली की औद्योगिक सम्पदा में 79 लाख रुपये की लागत से एक औद्योगिक परिशोधन संयन्त्र लगाया गया है। वर्ष 1998-99 तक हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा 912 औद्योगिक यूनिटों में परिशोधन संयन्त्र लगवाये गये हैं। पर्यावरण सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 के लिये 1.50 करोड़ रुपये के योजनागत खर्च की व्यवस्था की गई है।

स्वास्थ्य सेवायें

हमारी सरकार **2000 ईस्वी तक सभी के लिए स्वास्थ्य** प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध है। चालू वर्ष के दौरान जुई (भिवानी) में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला गया है और पलवल तथा झज्जर के दो अस्पतालों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें 50 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया गया है। मेवात क्षेत्र के लोगों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के लिये मांडीखेड़ा के 50 बिस्तर वाले अत्याधुनिक अस्पताल का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है और मानेसर के 50 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण-कार्य चालू वर्ष में आरम्भ किया जाएगा। दिसम्बर, 1998-99 तक विभाग द्वारा अस्पतालों के निर्माण-कार्य और स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने के लिये 5.23 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं, इस समय 8 अस्पताल, 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 22 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 12 उप-केन्द्र निर्माणाधीन हैं। स्वास्थ्य

[श्री चरण दास]

संस्थाओं में अल्ट्रा-साउंड मशीनों, ई०सी०जी० मशीनों आदि जैसे आधुनिक उपकरण लगाये जा रहे हैं। कचरे को जलाने के लिये 9 ज़िला अस्पतालों में भस्मक-भट्ठियाँ लगाई गई हैं। वर्ष 1999-2000 के दौरान सरकार द्वारा छः उपकेन्द्रों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और छः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बना कर स्वास्थ्य सेवा-सुविधा बढ़ाने का प्रस्ताव है।

हरियाणा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर दन्त चिकित्सा देख-भाल की व्यवस्था करने वाला देश का प्रथम राज्य है और 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दन्त चिकित्सा यूनिट लगाये गये हैं। हरियाणा ऐसा पहला राज्य है, जिसमें राज्य प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत हैपाटाइटिस-बी टीकाकरण शुरू किया गया है और यह कार्यक्रम आगामी वर्षों में जारी रखा जायेगा। चालू वर्ष के दौरान 3 करोड़ रुपये की राशि से **हैपाटाइटिस-बी टीकाकरण** की 10 लाख खुराकें खरीदने की सम्भावना है और यह अभियान अगले वर्ष भी जारी रहेगा। राज्य प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत हैपाटाइटिस-बी टीकाकरण की प्रमुख स्कीम के लागू करने से ज़िगर का कैंसर और ज़िगर की अन्य बीमारियाँ कम करने में सहायता मिलेगी।

सरकार द्वारा मलेरिया और डेंगू बुखार के प्रकोप को रोकने के लिये तुरन्त और प्रभावशाली उपाय करने के परिणामस्वरूप वर्ष 1998 के दौरान डेंगू बुखार के किसी रोगी की सूचना नहीं मिली है। मलेरिया बुखार के रोगियों में वर्ष 1997 की तुलना में वर्ष 1998 के दौरान 82.7 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी आई है। राज्य को पोलियोमुक्त बनाने के लिये, हरियाणा में **पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम** को प्रभावी रूप से चलाया जा रहा है। दिसम्बर, 1998 तक हमारी उपलब्धि 110 प्रतिशत थी और इस कार्यक्रम को चलाने में हमारे राज्य का देश में चौथा स्थान है।

स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा तथा सह-चिकित्सा कर्मचारियों को विश्व-बैंक परियोजना आई०पी०पी० VII के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, पंचकूला में सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया गया ताकि उनकी कार्य-कुशलता में वृद्धि हो सके। विश्व-बैंक सहायता से शुरू किये गये **प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम** के अन्तर्गत परिवार कल्याण और शिशु देखभाल सम्बन्धी उच्च कोटि की सेवायें निरन्तर प्रदान की जा रही हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य, 28.8 की वर्तमान जन्म दर और 68 की शिशु-मृत्यु-दर को कम करना है। राज्य द्वारा **एड्स नियंत्रण कार्यक्रम** सक्रिय रूप से चलाया जा रहा है, जो कि शत-प्रतिशत केन्द्र-चालित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य, लोगों में जागृति लाकर एच०आई०वी० वायरस को फैलने से रोकना है। राज्य के सभी ज़िलों में लाइसेंस-प्राप्त रक्त बैंक स्थापित किये गये हैं, जहां रोगियों को रक्त देने से पूर्व एच०आई०वी० संक्रमण की पूरी जाँच सुनिश्चित की जाती है।

पण्डित भगवत दयाल शर्मा स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान को अनुसंधान एवं चिकित्सा देख-भाल का एक उत्कृष्ट केन्द्र बना दिया गया है। वर्ष 1998-99 में 3.75 करोड़ रुपये की लागत से दुर्घटना सेवा के लिए **ट्रौमा ब्लॉक परियोजना** शुरू की गई है और इसमें विभिन्न प्रकार के लगभग 200 रोगियों को दाखिल किया जा सकता है। वर्ष 1999-2000 के दौरान, सी०टी० स्कैन और एम०आर०आई० ब्लॉक, पृथक टी०बी० और चैस्ट ब्लॉक, विशिष्ट-सेवा-ब्लॉक और अमले के लिये नये आवास भवनों के निर्माण का प्रस्ताव है।

राज्य सरकार द्वारा हरियाणा में आयुर्वेद और होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है तथा वर्ष 1999-2000 के दौरान 10 नये आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का प्रस्ताव है। इस क्षेत्र के लिये वर्ष 1999-2000 के दौरान 2.50 करोड़ रुपये के योजनागत खर्च का प्रस्ताव रखा गया है।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1999-2000 के दौरान विभिन्न योजनागत और गैर योजनागत स्कीमों के अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाओं पर 309.28 करोड़ रुपये खर्च किये जाने का प्रस्ताव है।

शिक्षा

राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा की सर्वव्यापकता, शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार तथा सभी स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के माध्यम से मानव संसाधनों के विकास के प्रति पूरी तरह सजग है। विद्यालयों में बच्चों, विशेषतः अनुसूचित जातियों तथा समाज के कमज़ोर वर्गों की लड़कियों के दाखिलों तथा उन्हें विद्यालयों में बनाये रखने हेतु निःशुल्क वर्दियाँ, निःशुल्क लेखन सामग्री, उपस्थिति पुरस्कार, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा विशेष उपस्थिति भत्तों जैसे विशेष प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं। वर्ष 1999-2000 के लिये इस स्कीम के अन्तर्गत 4.70 करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान किया गया है।

प्राथमिक शिक्षा की सर्व-व्यापकता तथा लड़का-लड़की में समानता पर बल देते हुये विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की दर घटाकर 10 प्रतिशत से भी कम करने के उद्देश्य से **ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम**, जो एक महत्त्वाकांक्षी एवं नया प्रयास है, अब राज्य के सात ज़िलों में चलाया जा रहा है। वर्ष 1999-2000 के लिये इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 2.50 करोड़ रुपये के खर्च का प्रस्ताव है। स्थानीय समुदाय तथा ग्राम पंचायतों के सक्रिय सहयोग से यह कार्यक्रम प्रगति कर रहा है। राज्य के सभी ज़िलों में विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों तथा अशिक्षित व्यस्कों को शिक्षित करने हेतु पूर्ण साक्षरता अभियान चलाये जा रहे हैं। वर्ष 1999-2000 के दौरान शैक्षणिक सुविधा नेटवर्क को और सुदृढ़ करने के लिये सरकार द्वारा 100 नये प्राथमिक विद्यालय खोलने तथा 414 विद्यालयों का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है।

सरकार, उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिये भी प्रयास कर रही है। वर्ष 1998-99 के दौरान चार गैर-सरकारी सम्बद्ध महाविद्यालयों ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है जबकि भिवानी में एक नया राजकीय महाविद्यालय खोला गया है। माननीय सदस्यगण को यह जानकर हर्ष होगा कि हमारी सरकार महिलाओं की शिक्षा के प्रति काफ़ी चिन्तित है तथा राज्य में कन्या महाविद्यालयों की संख्या 1966 में 9 से बढ़ कर अब 51 हो गई है। कमज़ोर वर्गों के विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा की व्यापक सुविधायें देने हेतु कई छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही हैं। इस प्रयोजनार्थ वर्ष 1999-2000 के दौरान 2.09 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है। लड़कों तथा लड़कियों के विचारों में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से 40 राजकीय महाविद्यालयों में महिला विकास तथा अध्ययन-कक्ष स्थापित किये गये हैं।

राज्य में डिग्री तथा डिप्लोमा स्तर पर तकनीकी रूप से प्रशिक्षित जनशक्ति 47 तकनीकी संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से तैयार की जा रही है। सरकार ने प्रत्येक ज़िले में एक बहुतकनीकी संस्थान खोलने तथा 9वीं योजना के दौरान रिवाड़ी, कुरुक्षेत्र, जीन्द, पंचकूला, भिवानी, यमुनानगर, कैथल, सिरसा तथा पानीपत ज़िलों में राजकीय बहुतकनीकी संस्थान आरम्भ करने का निर्णय लिया है। ज़िला भिवानी के लौहारू में राजकीय बहुतकनीकी संस्थान के भवन का निर्माण-कार्य चल रहा है। 12 राजकीय तथा 4 निजी प्रबन्धन वाले सरकारी सहायता-प्राप्त बहुतकनीकी संस्थानों की क्षमता तथा तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए सरकार, विश्व-बैंक सहायता-प्राप्त **तकनीशियन शिक्षा परियोजना** लागू कर रही है। वर्ष 1999-2000 के लिए तकनीकी शिक्षा हेतु 70 करोड़ रुपये के योजनागत खर्च का प्रस्ताव है।

उद्योगीकरण का पूरा लाभ उठाने के लिए राज्य द्वारा 195 औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षित औद्योगिक कार्यबल तैयार किया जा रहा है। वर्ष 1998-99 के दौरान 10 नये व्यावसायिक शिक्षा संस्थान खोले गये तथा वर्ष 1999-2000 के दौरान 5 नये संस्थान

[श्री चरण दास]
खोलने का प्रस्ताव है। बिटना, सढौरा तथा फतेहाबाद में तीन नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्य आरम्भ किये जाने का प्रस्ताव है। सेवानिवृत्त होने वाले सैनिक कर्मचारियों और अधिकारियों को स्व-रोज़गार हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राज्य ने चालू वर्ष के दौरान अम्बाला छावनी में **सेना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान** खोलने में सहायता प्रदान की है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 1.60 करोड़ रुपये है तथा हमारी सरकार ने संस्थान की मशीनरी तथा उपकरणों के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान 67 लाख रुपये की सहायता प्रदान की है।

वर्ष 1999-2000 के लिए शिक्षा क्षेत्र हेतु कुल 1,214.34 करोड़ रुपये के योजनागत तथा गैर योजनागत खर्च का प्रस्ताव है, जिनमें से 438.84 करोड़ रुपये प्राथमिक शिक्षा, 434.04 करोड़ रुपये वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा, 191.16 करोड़ रुपये उच्चतर शिक्षा, 26.06 करोड़ रुपये कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा सेवाओं, 85.34 करोड़ रुपये तकनीकी शिक्षा तथा 38.90 करोड़ रुपये का व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये उपयोग किया जायेगा।

समाज कल्याण

राज्य सरकार, वृद्ध नागरिकों, विधवाओं, विकलांगों और समाज के अभावग्रस्त वर्गों को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में प्रयासरत है। विभिन्न कल्याण स्कीमों के माध्यम से अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और विमुक्त जातियों का सामाजिक-आर्थिक स्तर बढ़ाना भी हमारी सरकार की प्रमुख प्राथमिकता रही है।

वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में दिसम्बर, 1998 तक 93.75 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है और वर्ष 1999-2000 के दौरान 107.25 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने का प्रस्ताव है। अशक्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु वर्ष 1999-2000 के दौरान 3.66 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने का प्रस्ताव है। भारत सरकार द्वारा **वृद्धावस्था गृह** के निर्माण के लिये वित्तीय सहायता की सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ा कर 30 लाख रुपये कर दी गई है। वर्ष के दौरान छः जिलों में वृद्धावस्था गृह बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदन के लिए भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया है। अम्बाला के वृद्धावस्था गृह को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दे दी गई है और निर्माण-कार्य प्रगति पर है। राज्य सरकार ने स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाये जा रहे अनाथालयों के बच्चों का गुज़ारा भत्ता 250 रुपये प्रति मास से बढ़ा कर 350 रुपये प्रति मास प्रति बच्चा कर दिया है। बेरोज़गार नेत्रहीन कुर्सी बुनने वाले व्यक्तियों के लिये प्रतिधारण भत्ता 1,000 रुपये प्रति मास से बढ़ा कर 1,500 रुपये प्रति मास कर दिया गया है। निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता देने की स्कीम को और अधिक उदार बनाया गया है और अब 10,000 रुपये वार्षिक तक की आय वाले व्यक्तियों के बच्चों को इस स्कीम के अन्तर्गत लाया जायेगा जबकि पहले आय मापदण्ड 1,800 रुपये वार्षिक था। शिशु तथा विकलांग कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने के लिये वर्ष 1999-2000 के दौरान 2.07 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग की विभिन्न स्कीमों के माध्यम से अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक और सामाजिक-आर्थिक उत्थान पर मुख्य रूप से बल दिया जा रहा है। चालू वर्ष के दौरान दिसम्बर, 1998 तक इन स्कीमों पर 10 करोड़ रुपये से अधिक राशि खर्च की जा चुकी है और वर्ष 1999-2000 के दौरान 31.22 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, हरियाणा **हरिजन कल्याण निगम** द्वारा अनुसूचित जातियों के परिवारों

को काम-धंधा शुरू करने के लिये आर्थिक सहायता दी जा रही है। वर्ष 1999-2000 के दौरान निगम का अनुसूचित जातियों के परिवारों को 37.88 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार, **हरियाणा पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग कल्याण निगम** द्वारा पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्गों के व्यक्तियों को उनके आर्थिक विकास हेतु 11.50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जायेगी। विभिन्न विभागों द्वारा विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिये निधियां निर्धारित की गई हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान अनुसूचित जातियों के विकास के लिये राज्य के कुल योजनागत खर्च का 12.03 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी 111 ग्रामीण और 5 शहरी खण्डों में महिला तथा बाल विकास हेतु **एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम** चलाई जा रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से अनुपूरक पोषाहार, स्वास्थ्य और अनौपचारिक विद्यालय-पूर्व शिक्षा जैसी सेवायें प्रदान की जा रही हैं। वर्ष 1998-99 के दौरान, 2.35 लाख गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं तथा 9.93 लाख बच्चों को अनुपूरक पोषाहार मुहैया करवाया जायेगा। दिसम्बर, 1998 तक 5.76 लाख बच्चों को विद्यालय-पूर्व शिक्षा और 10 लाख से अधिक बच्चों को सामान्य बीमारियों के विरुद्ध प्रतिरक्षण प्रदान किया गया है। वर्ष 1999-2000 में 12 लाख लाभानुभोगियों को इस स्कीम के अन्तर्गत अनुपूरक पोषाहार देने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिये 30.98 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव किया गया है।

वर्ष 1994 में शुरू की गयी **अपनी बेटी अपना धन** स्कीम की देश भर में व्यापक रूप से सराहना की गई है और इस स्कीम के अन्तर्गत अब तक 2.38 लाख माताओं को लाभ पहुंचा है। वर्ष 1999-2000 के दौरान भी इस स्कीम को जारी रखने का प्रस्ताव है, जिसके अन्तर्गत 60,000 माताओं को लाभ पहुंचने की सम्भावना है।

एकीकृत महिला अधिकारिता तथा विकास परियोजना, जो ग्रामीण महिलाओं में जागृति लाने के उद्देश्य से वर्ष 1994 में महेन्द्रगढ़ और रिवाड़ी के ज़िलों में शुरू की गई थी, ने दिसम्बर, 1998 में प्रथम चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यू०एन०एफ०पी०ए०, इस स्कीम के दूसरे चरण के अन्य तीन वर्षों के लिये वित्तीय सहायता देने हेतु सिद्धान्त रूप से सहमत हो गया है। समूचे रिवाड़ी ज़िले को जनवरी, 1999 से शुरू होने वाली परियोजना के अन्तर्गत लाया जायेगा।

इसके अलावा, जर्मनी संघीय गणतन्त्र से 7 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता से तीन वर्ष की अवधि के लिये जून, 1997 से गुड़गांव ज़िले के सोहना, नूँह और फर्रुखनगर तीन खण्डों में भी ऐसे ही कार्यकलाप शुरू किये गये। दिसम्बर, 1998 तक 28.14 लाख रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है। 109 जागृति मण्डलियां बनाई गई हैं, जिन्होंने दिसम्बर, 1998 तक 9,090 बैठकें कीं।

विश्व-बैंक/आइ०एफ०ए०डी० सहायता-प्राप्त **ग्रामीण महिला अधिकारिता एवं विकास परियोजना,** राज्य महिला विकास निगम द्वारा चलाई जा रही है। इस परियोजना पर 1998 से 2003 तक की पांच वर्षों की अवधि के दौरान कुल 16.88 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह परियोजना सितम्बर, 1998 में सोनीपत ज़िले में शुरू की गई और जीन्द तथा भिवानी ज़िलों में भी शुरू की जायेगी। इस परियोजना का उद्देश्य इन ज़िलों में ग्रामीण महिलाओं के जीवन-स्तर में सुधार लाना है।

वर्ष 1999-2000 के बजट अनुमानों में समाज कल्याण के क्षेत्र के लिये 255.39 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव है।

[श्री चरण दास]

ग्रामीण विकास

राज्य सरकार, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करने तथा रोज़गार के अवसर जुटाने के विभिन्न कार्यक्रम लागू कर रही है। **एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम** के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के **4,044** तथा **4,019** महिलाओं सहित **8,624** लाभानुभोगियों को सहायता प्रदान करने के लिए दिसम्बर, 1998 तक 7.55 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया है। वर्ष 1999-2000 के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय तथा राजकीय हिस्से सहित 12.50 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग करने का प्रस्ताव है। **ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों का विकास (ड्वाकरा)** कार्यक्रम के अन्तर्गत, राज्य के सभी ज़िलों में दिसम्बर, 1998 तक 2,384 महिलाओं की सदस्यता से **234** समूह गठित किये जा चुके हैं।

मरुस्थल विकास कार्यक्रम जल-संग्रहण विकास परियोजनाओं पर आधारित है तथा इसे रिवाड़ी तथा महेन्द्रगढ़ ज़िलों के दस खण्डों में लागू किया जा रहा है। वर्ष 1998-99 के अन्त तक 16,000 हैक्टेयर क्षेत्र में 32 जल-संग्रहण विकास परियोजनायें विकसित करने का प्रस्ताव है, जो मरुस्थल नियन्त्रण और परिवेश-संतुलन बहाल करने में सहायक होंगी। इसी प्रकार भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा तथा झज्जर ज़िलों के 35 खण्डों में **रेतीले शुष्क क्षेत्र कार्यक्रम** कार्यान्वित किया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में लाभप्रद रोज़गार जुटाने के लिये **जवाहर रोज़गार योजना** चलाई जा रही है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 1998-99 के दौरान ज़िला ग्रामीण विकास एजेंसियों को **21.84** करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई, जिसमें **16.45** करोड़ रुपये की राशि ग्रामीण क्षेत्रों में **12.65** लाख श्रमदिवस जुटाने के लिये खर्च की गई। माननीय सदस्यगण,हमारी सरकार **इन्दिरा आवास योजना** के माध्यम से अत्यन्त निर्धन व्यक्तियों और समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों की आवास की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास कर रही है। इस योजना के अन्तर्गत विशेषतया अनुसूचित जाति के सदस्यों, मुक्त बन्धुआ मज़दूरों, युद्ध विधवाओं और अन्यों को निःशुल्क आवासगृह मुहैया करवाये जाते हैं। **इन्दिरा आवास योजना** के अन्तर्गत दिसम्बर, 1998 तक **3,258** आवास-गृहों का निर्माण किया जा चुका है तथा **3,566** आवास-गृह निर्माणाधीन हैं। **दस लाख कुएँ बनाने की स्कीम** के अन्तर्गत, दिसम्बर, 1998 तक 303 खुदाई किये गये कुओं का निर्माण किया जा चुका है तथा 100 कुओं का निर्माण-कार्य प्रगति पर है। **रोज़गार आश्वासन स्कीम** के अन्तर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में 10.59 लाख श्रमदिवसों का रोज़गार जुटाने के लिए ज़िला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा दिसम्बर, 1998 तक 17 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

ग्रामीण विकास एवं गरीबी कम करने के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए वर्ष 1999-2000 के दौरान 91.25 करोड़ रुपये की राशि खर्च किये जाने का प्रस्ताव है।

शहरी विकास एवं नगरपालिका प्रशासन

राज्य सरकार, शहरी क्षेत्रों में आवश्यक नगरीय सुविधाएं प्रदान करने तथा नगरपालिका निकायों के माध्यम से शहरी योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करने के अपने कार्य में चौकस है।

शहरी गन्दी बस्तियों के पर्यावरण सुधार स्कीम के अन्तर्गत नवम्बर, 1998 तक 3.6 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई और 1999-2000 के लिए 6 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। नगरपालिकाओं की आय बढ़ाने के लिए तदर्थ राजस्व अर्जन स्कीमों के लिए एक करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। **लघु तथा मध्यम नगर एकीकृत विकास स्कीम** भी लागू की जा रही है, जिसके

अन्तर्गत पाँच लाख तक की आबादी वाले नगरों को विकसित किया जायेगा ताकि इन नगरों से बड़े शहरों में स्थानान्तरित होने पर नियन्त्रण लगाया जा सके। यह स्कीम अब तक बरवाला, चरखी दादरी, पेहवा और यमुनानगर शहरों में चलाई गई है। नवम्बर, 1998 तक 52 लाख रुपये तथा 36 लाख रुपये की राशि क्रमशः बरवाला तथा चरखी दादरी नगरपालिकाओं द्वारा खर्च की जा चुकी है। यमुनानगर और पेहवा नगरों में भी निर्माण-कार्य चल रहा है। वर्ष 1999-2000 में इस स्कीम के लिये 3.75 करोड़ रुपये का बजट उपबन्ध है। **केन्द्रीय सहायता गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम** का उद्देश्य गन्दी बस्तियों में रहने वालों के लिये पर्याप्त जल सप्लाई, सफाई, प्राथमिक शिक्षा सुविधायें और आवास देना है, जिसके लिये नवम्बर, 1998 तक 1.39 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। वर्ष 1999-2000 के लिये गन्दी बस्ती विकास स्कीम हेतु 5.14 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था है। **शहरी ठोस कचरा प्रबंधन** की एक नई स्कीम पर वर्ष 1999-2000 में खर्च के लिए 1.22 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव है।

शहरी गरीब जनता को स्वरोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से बनी **स्वर्ण जयन्ती शहरी रोज़गार योजना** स्थानीय समुदायों की सहायता से अच्छी प्रगति कर रही है। शहरी क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास स्कीम के कार्यक्रम को राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाता है और इसका उद्देश्य शहरी गरीब महिलाओं को स्वरोजगार के उद्यमों के लिए संगठित करना है। इस स्कीम के लिए वर्ष 1999-2000 में राज्य के हिस्से के रूप में एक करोड़ रुपये की राशि का उपबन्ध किया जा रहा है।

वर्ष 1999-2000 के दौरान, राज्य सरकार का शहरी क्षेत्रों के विभिन्न योजनागत तथा गैर-योजनागत स्कीमों के अन्तर्गत 46.84 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है।

परिवहन

हरियाणा राज्य परिवहन द्वारा राज्य के लोगों को निरन्तर महत्त्वपूर्ण सेवायें प्रदान की जा रही हैं। इस समय हरियाणा राज्य परिवहन के पास 3801 बसें हैं, जिनमें प्रतिदिन लगभग 10.76 लाख यात्री यात्रा करते हैं। हरियाणा राज्य परिवहन द्वारा पुरानी बसों के स्थान पर नियमित रूप से नयी बसें खरीदी जा रही हैं। इसके लिये वार्षिक योजना, 1999-2000 में 34.85 करोड़ रुपये का खर्च निर्धारित किया गया है। गत की वर्ष छः महीनों की अवधि के दौरान असन्ध, रतिया, जुलाना, समालखा, चरखी दादरी और अटेली में आधुनिक बस-अड्डों को चालू कर दिया गया है और अम्बाला छावनी, राजौंद, रोहतक बाई-पास और भिवानी के नये बस-अड्डे निर्माणाधीन हैं। सड़क परिवहन के लिये वार्षिक योजना, 1999-2000 में 40 करोड़ रुपये का खर्च निर्धारित किया गया है।

पर्यटन

हरियाणा राज्य, देश में राजमार्ग एवं घरेलू पर्यटन के विकास में अग्रणी है, राज्य में 44 पर्यटन केन्द्रों का नेटवर्क है। पर्यटन-सुविधाओं को नियमित रूप से आधुनिक तथा बेहतर बनाया जा रहा है। चालू वर्ष के दौरान गुड़गाँव, रिवाड़ी तथा पिपली केन्द्रों में अतिरिक्त कमरों का निर्माण किया गया है। पेहवा में एक "यात्रिका" पर्यटन केन्द्र पूर्ण होने वाला है तथा हाँसी में एक नया पर्यटन केन्द्र शीघ्र ही बनकर तैयार हो जाने की सम्भावना है। करनाल में 9 होल गोल्फ कोर्स भी आरम्भ किया गया है। अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये हरियाणा पर्यटन, निजी क्षेत्र के संयुक्त उद्यम से उचाना में अम्यूज़मैंट पार्क, माधोगढ़ में हैरिटेज होटल और सोहना में हैल्थ क्लब की परियोजनायें तैयार कर रहा है। वर्ष 1999-2000 के दौरान आरम्भ की जाने वाली अन्य प्रस्तावित परियोजनाओं में भिवानी तथा गढ़ में नये पर्यटन केन्द्र, हिसार तथा रोहतक में नये फास्ट फूड केन्द्र तथा दमदमा और पिंजौर में नये कमरों का निर्माण सम्मिलित है।

[श्री चरण दास]

वर्ष 1999-2000 के दौरान विभिन्न पर्यटन गतिविधियों के विकास हेतु 5.54 करोड़ रुपये की राशि की बजट सहायता का प्रस्ताव किया गया है।

सरकारी कर्मचारियों की भलाई

राज्य के उद्देश्यों को पूरा करने में सरकारी कर्मचारियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका को सरकार द्वारा सदैव मान्यता प्रदान की गई है। इसके दृष्टिगत, राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार की पद्धति पर उनके वेतनमानों में संशोधन किया है तथा अपने सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पहली जनवरी, 1996 से वेतन में वृद्धि का लाभ दिया है। सरकार ने चालू वर्ष के दौरान मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिपूर्ति भत्ता, चिकित्सा भत्ता तथा अन्य भत्तों की दरों में संशोधन किया है। हमारी सरकार ने वर्ष 1996-97 के लिये बोनस की अदायगी के अतिरिक्त, अपने कर्मचारियों के लिये 1-1-96 से 1-7-98 की अवधि के दौरान केन्द्रीय पद्धति पर महंगाई भत्ते की 5 किस्तें मंजूर की हैं। हमारी सरकार ने सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण की अधिकतम सीमा संशोधित करके 240 दिन के स्थान पर 300 दिन कर दी है। इसके कारण राज्य पर कुल 1,791.62 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय देयता होने का अनुमान है। हमारी सरकार ने लगभग 143 करोड़ रुपये का लाभ देते हुए राज्य सरकार की पद्धति पर इस वर्ष बोर्डों, निगमों तथा सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतनमान भी संशोधित किये हैं।

वेतन विसंगतियों के मामलों पर विचार करने हेतु **अधिकारियों की एक उच्चाधिकार-प्राप्त समिति** तथा **मन्त्रियों की एक समिति** गठित की गई है। इस समिति की सिफारिश पर कई वर्गों के कर्मचारियों के वेतनमानों की विसंगतियाँ दूर की गई हैं। इन कल्याण उपायों के साथ ही हम आशा करते हैं कि हमारे कर्मचारी राज्य की जनता के कल्याण के लिये पूर्ण लगन से कार्य करेंगे।

बजट अनुमान, 1999-2000

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब इस गरिमामय सदन के सम्मुख 1999-2000 के बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूँ। वर्ष 1998-99, रिज़र्व बैंक की पुस्तकों के अनुसार 104.55 करोड़ रुपये के घाटे से आरम्भ हुआ और इसके 21.91 करोड़ रुपये के घाटे से समाप्त होने की सम्भावना है। इस प्रकार वर्ष के दौरान बजट सम्बन्धी लेन-देन 82.64 करोड़ रुपये के अधिशेष की ओर संकेत देते हैं, जो कि राज्य सरकार की अच्छी वित्त-व्यवस्था का सूचक है।

वर्ष 1999-2000, रिज़र्व बैंक की पुस्तकों के अनुसार, 21.91 करोड़ रुपये के घाटे से आरम्भ होगा तथा 44.58 करोड़ रुपये के घाटे से समाप्त होगा। इस प्रकार वर्ष के दौरान बजट सम्बन्धी लेन-देन 22.67 करोड़ रुपये के घाटे की ओर संकेत देते हैं। ऐसा इसलिये हुआ है क्योंकि हम आगामी वर्ष में पिछले वर्ष की अपेक्षा बढ़ी हुई वार्षिक योजना, 2,300 करोड़ रुपये से कार्यान्वित करेंगे। यह राशि केन्द्र प्रायोजित एवं अन्य विकास स्कीमों के लिये 303.90 करोड़ रुपये के अतिरिक्त होगी। मैं इस गरिमामय सदन को सूचित करना चाहूँगा कि हरियाणा अपने दूरदर्शी वित्तीय प्रबन्धन के लिये जाना जाता है। हरियाणा, देश के उन राज्यों में से एक है, जिनमें चालू राजस्व का बकाया सकारात्मक रहा है। वर्ष 1999-2000 के बजट अनुमानों में 46.08 करोड़ रुपये के चालू राजस्व का बकाया सकारात्मक दिखाई देता है। राज्य का वित्तीय घाटा इसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत है।

माननीय सदस्यगण, आप इसकी सराहना करेंगे कि बजट घाटा प्रबन्धन योग्य सीमा के अन्दर है। यह घाटा प्रत्याशित आर्थिक लचीलेपन और कर अपवंचन की रोकथाम और औचित्यपूर्ण उपायों के कारण पूरा हो जायेगा। माननीय सदस्यगण को मैं सूचित करना चाहूँगा कि दसवें वित्त आयोग द्वारा यह सिफारिश की गई है कि केन्द्रीय करों की एक वैकल्पिक हस्तांतरण स्कीम लागू की जाये, जिसके द्वारा कुल करों का 29 प्रतिशत राज्यों को अंतरित होना चाहिए और अन्तर्राज्यीय परिषद् द्वारा इस स्कीम का अनुमोदन कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कहा है कि केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा बढ़ाकर 33 प्रतिशत कर दिया जाये। जब इसकी कार्यान्विति होगी तो केन्द्रीय करों में हमारे हिस्से में भी पर्याप्त वृद्धि होगी।

मैं इस गरिमामय सदन को सूचित करना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने राज्य की विकास-स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिये इस बजट में कोई नया कर न लगाते हुए यहाँ की जनता के हितों को सर्वोपरि माना है। मुझे विश्वास है कि हम इस सदन के माननीय सदस्यगण तथा हरियाणा की जनता के सहयोग तथा सहायता से अपने सभी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में समर्थ होंगे।

महोदय, अब मैं बजट अनुमान, 1999-2000 इस गरिमामय सदन के विचारार्थ तथा अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करता हूँ।

जय हिन्द।

Mr. Speaker : Now, the House stands adjourned till 2.00 P.M. tomorrow.

*3.49 P.M. (The Sabha then *adjourned till 2.00 P.M. on Thursday, the 4th February, 1999.)

30899 H.V.S. H.G.P. Chd.